



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain
(शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान)
(An autonomous organization of Ministry of Education, Govt. of India)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, Ujjain - 456006 (M.P.)

1. अब से वेद भूषण प्रथम वर्ष (6^{टीं} कक्षा) में प्रवेश ऑनलाइन ही होगा।
From now onwards, admission to Veda Bhushan 1st Year (6th Std) will be only through online mode.
2. वेद भूषण द्वितीय वर्ष आदि का भी ऑनलाइन अद्यतित करना होगा।
For Veda Bhushan second year upwards will also have to be updated online.
3. प्रत्येक माह 20 तारीख को छात्र एवं अध्यापकों की उपस्थिति ऑनलाइन द्वारा अद्यतित करना अनिवार्य होगा।
It is mandatory to update the attendance of students and teachers on 20th of every month online.
4. प्रत्येक वेद अध्यापक के अधीन में 10 छात्र होने चाहिए।
There must be 10 students under each Veda teacher.
5. सम्बद्ध सूचनाएँ भेजने के ई-मेल / Relevant information may be sent to E-mails -
प्रशासनिक / Administrative - msrvvpujn@gmail.com/
शैक्षणिक / Academic - msrvvp.academic@gmail.com
छात्रवृत्ति / Scholarship - msrvvp.scholarship@gmail.com

सूचना : किसी भी व्यक्ति से चयन हेतु फोन करवाना / फ्राड करने वाले गिरोह से संपर्क साधकर उनको धनराशि देकर गलत कार्य करना / किसी भी अधिकारी को चयन हेतु मेसेज भेजना / किसी अतिविशिष्ट व्यक्ति से पत्र लिखवाना / बार-बार आकर मिलने का प्रयत्न करना, चयन प्रक्रिया से हटाने (Debarment) के लिए एकमात्र कारण बन सकता है। अतः आवेदक इस तरह गलत कार्य न करें। उच्च गुणवत्ता के साथ वेदशाखा का सस्वर पूर्ण कंठस्थीकरण, छात्रों की तैयारी में प्रयत्न करें, चयन हेतु गुणवत्ता के अलावा अन्य कोई भी उपाय नहीं है।

वेदों की मौखिक श्रुति परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने की योजना के अन्तर्गत
ऐच्छिक संगठनों द्वारा वर्ष 2026-2027 एवं आगामी वर्षों के केलिए
नवीन वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र

Application for seeking New Financial Assistance for the year 2026-27 and further years by the Voluntary Organizations under the Scheme for Preservation of Oral Tradition of Vedas

1. संस्था का नाम : _____
Name of the Institute
पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिनकोड सहित : _____
Complete address for communication with PIN code
समीपस्थ रेलवे स्टेशन : _____
Nearest railway station
दूरभाष तथा मोबाईल नंबर : _____
Telephone and Mobile No.

ई-मेल पता	:	_____
Email Id		
PAN नम्बर	:	_____
PAN No.		
जिला शिक्षा विभाग की मान्यता (हाँ/नहीं)	:	_____
Recognition of Dist. Education Department (Yes/No.)		
जिस राज्य में पाठशाला है उस राज्य का दर्पण पोर्टल यूनिक आईडी है / नहीं ? यदि है तो नम्बर	:	_____
Whether the Pathashala has Darpan Portal Unique I.D.		
Name of state where it is situated ? If yes, provide the No. of Darpan Id.		
2. स्थापना वर्ष	:	_____
Year of Establishment		
3. पंजीकरण की दिनांक एवं संख्या यदि पंजीकृत है। (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	:	_____
Date of Registration, and No. if registered. (Attach copy of certificate of registration.)		
4. प्रबंधन समिति (यदि है) ?	:	_____
Management Committee (If yes) ?		
5. नाम और पद /Name and Designation	:	_____
(1) अध्यक्ष/Chairman	:	_____
(2) सचिव/Secretary	:	_____
(3) कोषाध्यक्ष/पंजीयक/Treasurer/Registrar	:	_____
6. परीक्षण-कर्ता निकाय जिससे संस्था सम्बद्ध है।	:	_____
Examining Body to which the institute is affiliated.		
7. वेद पाठ्यक्रम जिनमें छात्र अध्ययनरत हैं	:	_____
Vedic courses in which the students are studying		
8. पिछले शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या	:	_____
Number of students in each class in previous academic session		
9. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक कक्षा में छात्रों की पंजीकृत संख्या	:	_____

Number of registered students in each class
in current Academic Session

10. पाठशाला एवं छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या :
Number of students studying in Pathashala & residing in hostel. _____
- (अ) विगत शैक्षणिक वर्ष (2025-26) : _____
Previous Academic Year (2025-26)
- (ब) वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2026-27) : _____
Current Academic Year (2026-27)
11. क्या भूमि और भवन वह पाठशाला के स्वामित्व में उपलब्ध है? :
Whether the Land and Buildings are owned by Pathashala? _____
- (1) पाठशाला - ट्रस्ट स्वामित्व की : _____
Ownership by the Pathashala/Trust
- (2) वर्ष की लीज अनुबन्ध पर लिया गया : _____
Taken on Lease Agreement for years
- (3) वर्ष के किरायेनामे के साथ लिया गया : _____
Taken on rent agreement for years
12. पिछले तीन वर्षों का निम्नलिखित पर व्यय / Expenses in :
following heads during last three years. _____
1. अध्यापक मानदेय : _____
Honorarium to Teachers
2. स्थापना स्टाफ को मानदेय : _____
Honorarium to Establishment Staff
3. छात्रावास/छात्र अनुरक्षण : _____
Hostel / Students Maintenance
4. छात्रवृत्ति : _____
Scholarship
5. विविध और आकस्मिक व्यय : _____
Miscellaneous and Contingent Expenses
13. विभिन्न स्रोतों से पिछले तीन वर्षों में प्राप्त होने वाली वित्तीय :
सहायता, जैसा कि राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, ट्रस्ट, भारत
सरकार, म.सा.रा.वे.वि.प्र. आदि से _____
Financial Assistance obtained from various
sources in last three years e.g. State Govt.,
Local Body, Trust, Govt. of India, MSRVVP
etc. _____
14. किसी सरकारी स्रोत से वेद पाठशाला को कब से अनुदान प्रारम्भ :
किया गया? (माह एवं वर्ष) _____

Since when is the Pathashala getting financial assistance from any Govt source? (Month and Year) ?

15. यदि भारत सरकार या राज्य के अनुदान से संपत्तियाँ अर्जित की हैं, तो उनका विवरण दें। : _____
If assets are acquired from Govt. of India/ State funds, furnish details. _____
16. निम्नलिखित प्रलेखों की एक-एक प्रति प्रस्तुत करें : _____
Produce each copy of the following documents
1. संस्था के पिछले वर्ष के कार्यकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन (2025-26) : _____
Annual Report of activities of the institute for the previous year (2025-26)
2. संस्था के पिछले वित्तीय वर्ष (2025-26) के परीक्षित लेखे : _____
जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होने चाहिये -
Audited Accounts of the institute for previous year (2025-26) which should include the following details :
1. आय एवं व्यय विवरण : _____
Income and Expenditure statement
2. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा : _____
Receipts and Payments Account
3. तुलन पत्र : _____
Balance Sheet
4. उपयोगिता प्रमाणपत्र : _____
Utilization Certificate
17. क्या किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में केन्द्र सरकार/राज्य से प्राप्त अनुदान के परीक्षित लेखे एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं? : _____
(उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक)
Whether audited accounts and utilization certificate for grants-in-aid received from Govt Source/State for the last two years have been submitted ? _____
(Date on which UC submitted)
18. मानदेय/शिक्षावृत्ति के लिए अनुदान का विवरण : _____
Details of grants for Honorarium/Shikshavritti
प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों की संख्या, मानदेय/परिलब्धियों की वर्तमान दर

No. of Teachers in each category, present rate of honorarium/emoluments

अध्यापकों की श्रेणी/विषय Teachers' Category/Subject	पूर्णकालिक Fulltime	संख्या No.	मानदेय Honorarium	मासिक परिलब्धि Monthly Emolument
1.	2.	3.	4.	5.

19. क्या मानदेय तथा छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय सहायता का :

वर्तमान आवेदन राज्य सरकार/अन्य सरकारी स्रोतों से
अनुदान के अतिरिक्त है ?

Whether the present application for financial
assistance for honorarium and scholarship is
in addition to any grants being received from
the State Govt./ Any other Govt. sources ?

20. यदि हाँ, तो दर्शायें :

If yes, please indicate

(अ) राज्य सरकार/अन्य कोई भी सरकारी स्रोतों, जिनसे :
प्रतिष्ठान सम्बद्ध वेद पाठशाला के अध्यापकों का
मानदेय और शिक्षावृत्ति के लिए अनुदान प्राप्त कर रहे
हैं (स्रोत, दर, राशि और अवधि दें)/

State Government/any other Government
sources from which the Veda Pathashala's
teachers are receiving grant-in-aid
(honorarium and Shiksha Vritti).
(Mention sources, rate, amounts and
duration).

(ब) उन वेद अध्यापक और छात्रों की संख्या तथा विवरण :
दें जिन्हें राज्य सरकार/अन्य किसी सरकारी अनुदान
द्वारा मानदेय और शिक्षावृत्ति का भुगतान नहीं मिल रहा
है।

Details of those Veda Teachers and
students who are not getting any
financial assistance from the State
Govt. / Any other Govt. sources

21. (अ) प्रतिष्ठान से पिछले तीन वर्षों में नीचे लिखे मदों में प्राप्त : _____
अनुदान का विवरण।

Details of grants received from _____
Pratishthan during last three years
under the following heads

मानदेय Honorarium	छात्रवृत्तियाँ Scholarships	पुस्तकालय Library	छात्रानुरक्षण Students' maintenance	उपकरण Equipment	विविध Misc.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

(ब) भारत सरकार/राज्य से भवन निर्माण के लिये संस्था की : _____
स्थापना से लेकर आज तक मिले अनुदान का विवरण
Details of grants received so far from _____
Govt. of India/ State for construction _____
of building for establishment of _____
institution

22. भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु संस्था द्वारा जो समिति बनाई : _____
गई है उसका विवरण एवं कृतकार्रवाई
(संस्था द्वारा समिति-बनाने के आदेश की प्रति संलग्न करें एवं _____
उक्त समिति सदस्यों के नाम लिखें)
Committee constituted by the organization for _____
food and other arrangements- Details and Action _____
taken (Attach a copy of the order of constitution _____
of the committee by the organization and furnish _____
the names of the said committee members)

23. बैंक एवं बैंक शाखा का नाम : _____
Name of Bank with Branch
बैंक में खाता संख्या (मसारावेविप्र द्वारा जारी अनुदान के लिए : _____
विशिष्ट रूप से)/Account Number (exclusively _____
for the Grants released by MSRVVP)
कोर बैंकिंग द्वारा अनुदान भेजने हेतु बैंक का आई.एफ.एस.सी. : _____
कोड (IFSC Code) IFSC code of the bank for _____
sending grant through core banking

24. विदेशी मूल से प्राप्त धनराशि डालर/रुपये में यदि है तो : _____
FCRA संख्या.

FCRA No. in case any foreign fund (in
Dollars/Rupees) is received

25. वेद पाठशाला से पूर्व में वेदविभूषण उत्तीर्ण ऐसे छात्रों की सूची जो वर्तमान में जो वर्तमान में राज्य सरकार, केंद्र सरकार
अथवा किसी अन्य संगठन के अधीन कार्यरत हों

List of such Veda Vibhushan passout students of the Veda Pathashala who are
currently employed in any service under State Government, Central Government or
any other organization

क्र.	नाम	वर्ष	पता	कार्यरत स्थान व धारित पद
S.No.	Name	Year	Address	Work Place & Post held
(1)	-----	-----	-----	-----
(2)	-----	-----	-----	-----
(3)	-----	-----	-----	-----
(4)	-----	-----	-----	-----
(5)	-----	-----	-----	-----

घोषणा / Declaration

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इस वेद पाठशाला/वेद विद्यालय के वेद छात्रों एवं अध्यापकों (वेद एवं आधुनिक विषय दोनों के लिए),
जो मसारावेविप्र, उज्जैन से क्रमशः छात्रवृत्ति एवं मानदेय प्राप्त करते हैं, वे समान उद्देश्य तथा कार्य के लिए किसी अन्य सरकार/सरकारी
निकायों/सरकारी ट्रस्टों/सरकारी सोसाइटियों/सार्वजनिक न्यासों से समांतर रूप से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

I hereby certify that the Veda students and teachers (both for Veda and modern subjects) of this
Veda Pathashala/Veda Vidyalaya, who receive stipends and honorarium respectively from
MSRVVP, Ujjain, are not concurrently receiving any financial assistance from any other
Government/ Govt. Bodies/ Govt. Trusts/ Govt. Societies/ Govt Controlled Public Trusts for
the same purpose and work.

हम प्रमाणित करते हैं कि वेदों और आधुनिक विषयों का शिक्षण, छात्रों द्वारा वेदों और आधुनिक विषयों का अध्ययन नियमित रूप से
किया जाता है और छात्र छात्रावासों में रहते हैं तथा उनके भोजन और ठहरने की व्यवस्था सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पूरी देखभाल के साथ
की जाती है।

We certify that teaching of Vedas and modern subjects, study of Vedas and modern subjects by
Students are done on regular basis and students reside in the Hostels and boarding and lodging
arrangements are doen by the Society/Trust under their complete care.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि योजना के तहत स्वीकृत धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए वह स्वीकृत
किया जाएगा।

It is also certified that, the funds sanctioned under the scheme shall be utilized for the purpose
for which those will be sanctioned.

दिनांक :/Date :	संस्था के प्रमुख/सचिव/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित
स्थान :/Place :	Signature of Head of the Institution/Secretary or the authorised person with Office Seal

नोट :- / Note :-

1. आवेदन पत्र में समस्त कॉलम भरना अनिवार्य है। न भरने की स्थिति में वापस कर दिया जाएगा तथा अनुदान बाधित होगा।
It is compulsory to fill all the columns in the application form failing which application form will be returned and release of grant will be affected.
2. यह सुनिश्चित करें कि अध्यापक एवं सगे बन्धु-बान्धव संस्था के/वेदपाठशाला के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष स्थान पर न रहें।
No blood relatives are allowed to be Chairman, Secretary and Treasurer and teacher will not be Chairman/Secretary and Treasurer of the Organization/Veda Pathashala.
3. पाठशाला/ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा प्रत्येक अध्यापक के बैंक खाते में प्रतिमाह भुगतान किये गये मानदेय के हस्तांतरण की बैंक विवरणी प्रतिष्ठान को प्रेषित करनी होगी।
The Pathashala/Trust/Society must send the month wise bank statement of transfer of honorarium to each teacher to the Pratishthan.
4. प्रतिष्ठान द्वारा पाठशाला को प्रतिमाह भुगतान की गई रखरखाव छात्रवृत्ति राशि के उपयोग का बैंक विवरण संस्था को प्रतिवर्ष प्रेषित करना होगा।
The Organization must send the year wise bank statement regarding the utilization of the monthly maintenance grant released by Pratishthan.
5. वेद पाठशाला के जिन अध्यापकों एवं छात्रों को किसी अन्य सरकार/सरकारी स्रोतों से/सरकार नियंत्रित स्रोतों से/सरकार नियंत्रित ट्रस्टों से अनुदान प्राप्त हो रहा है, उनके लिए मसारावेविप्र द्वारा अनुदान देय नहीं होगा।
MRSVVP will not release grants for the same teachers and the students of the Pathashala if they receive grants from any other Government/Government sources/Government controlled Organisations/Government controlled Trusts.

वेद पाठशाला का विवरण

Particulars of Veda Pathashala

1. वेद पाठशाला/विद्यालय का नाम
Name of Veda Pathashala / Vidyalaya
2. पता, (दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर सहित)
पिन कोड भी लिखें
Address (Telephone & Mobile No.)
with Pin Code
3. स्थापना की दिनांक
Date of Establishment
4. सरकारी स्रोत से वेद विद्यालय को कब अनुदान प्रारम्भ किया गया
। (माह एवं वर्ष)
When the financial assistance started to Veda
Pathashala by Any Govt source(Month and Year)
5. क्या पाठशाला/विद्यालय पंजीकृत है ? यदि हाँ तो किसने और
कब पंजीकृत किया (प्रति संलग्न करें)
Whether Veda Pathashala / Vidyalaya is
registered? If yes, when and registered by
whom. (Attach copy)
6. सोसाइटी या ट्रस्ट का नाम जो पाठशाला का संचालन करते हैं
तथा इसका पंजीकरण नं. और तारीख (प्रति संलग्न करें)
Name of Society or Trust which runs
Pathashala and its registration No. with date
(Attach copy)
7. सोसाइटी या ट्रस्ट की आय का स्रोत
Source of Income of Society or Trust
 1. सरकारी आय स्रोत प्रतिशत
Government Income source percentage
 2. सामाजिक दान प्रतिशत
Social donation percentage
 3. ट्रस्टियों का स्वयं का दान प्रतिशत
Trustees' own donation percentage
8. *क्या सोसायटी के अध्यक्ष वेद अध्यापक है?
Whether the Chairman of the Society is a Veda
teacher ?
9. क्या सोसायटी के सचिव वेद अध्यापक है ?
Whether the Secretary of the Society is a Veda
teacher ?
10. सोसायटी के अध्यक्ष/सचिव के भाई/बहन आदि सगे संबंधी वेद
पाठशाला के अध्यापक अथवा कर्मचारी है?

Whether any blood relative (Brother/Sister, etc.) of Chairman/ Secretary is teacher or employee of the Veda Pathashala?

11. भवन तथा अन्य सम्पत्ति का विवरण जो सोसाइटी या ट्रस्ट के अधिपत्य में हैं या अधिकार में है

Particulars of buildings and other assets owned or possessed by the Trust

12. वेद तथा शाखा जिसका सस्वर अध्ययन कराया जा रहा है

Veda and Shakha that is being taught sasvara

(1) मूल संहिता

(2) विकृति पाठ

(3) अन्य कोई

Original Samhita

Vikriti Patha

Any other

13. पाठ्यक्रम का विवरण तथा उसकी अवधि

Particulars of Course and its duration

14. अध्ययन की पद्धति का स्तर

Level of method of teaching

15. वेद तथा आधुनिक विषय अध्यापन का समय (समय-सारणी संलग्न करें)/Time schedule of Veda & Modern subjects teaching (Attach Time Table)

16. वित्तपोषित पूर्णकालिक छात्रों की संख्या

Number of fulltime financially aided students

17. पाठशाला का UDISE नं.

UDISE No. of the Pathashala

18. अध्यापक - छात्र अनुपात /Teacher - Student Ratio

ऋग्वेद / Rig Veda

यजुर्वेद / Yajurveda

सामवेद / Sama Veda

अथर्ववेद / Athara Veda

संस्कृत / Sanskrit

अन्य आधुनिक विषय / Other modern subjects

19. आधुनिक/सहयोगी विषयाध्ययन कार्य कराया जाता है या नहीं। हाँ या नहीं में उत्तर दें।

Whether modern subjects / allied subjects are taught or not ? State Yes or No

योग / Yoga

विज्ञान / Science

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW)/

Socially Useful Productive Work

कम्प्यूटर / Computer

20. 40 वित्तपोषित छात्रों तक की छात्र संख्या पर एक संस्कृत अध्यापक प्रदेय किया जाएगा।

One Sanskrit teacher will be provided on student strength up to 40 financial aided students

21. पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या
Number of full time Teachers
22. अंशकालिक अध्यापकों की संख्या (यदि हो)
Number of part-time Teachers (If any)
23. अन्य आधुनिक विषयों के अध्यापन की स्थिति
Status of teaching of other modern subjects
24. अन्य कर्मचारियों का विवरण
Particulars of other employees
25. और कोई सूचना जो आवश्यक हो
Any other information, which is necessary.

दिनांक :/Date :

स्थान :/Place :

सचिव/प्रबन्धक का नाम एवं हस्ताक्षर

Name and Signature of
Chairman/ Manager

वेद अध्यापक का विवरण
Particulars of Veda Teacher

1. नाम _____ वेद अध्यापक का नवीनतम
Name _____ पासपोर्ट आकार का रंगीन
2. पिता / पति का नाम _____ फोटो अनिवार्य रूप से
Father's/Husband's _____ चिपकाएं।
Name _____ Mandatorily paste a
3. जन्म दिनांक _____ recent passport size
Date of Birth _____ colour photograph of
4. आधार नम्बर _____ Veda Teacher
Aadhar Number _____
5. लिंग Gender पुरुष/Male ☐ महिला/Female ☐
6. वर्ग जो हो उस पर सही का चिह्न सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा
लगाए। वर्ग
Tick the applicable General Scheduled Caste Scheduled Tribe OBC
Category ☐ ☐ ☐ ☐
7. पता अ) स्थायी पता/Permanent Address _____
Address _____
ब) वर्तमान पता (मोबाईल नं. सहित)/
Current Address _____
(Including Mob. No.) _____
8. वेद तथा शाखा _____
Veda and Shakha _____
9. वेदाध्यापक संहितापाठी/क्रमान्तपाठी/घनान्तपाठी है;
जो अंश लागू हो उस पर (✓) का चिह्न करें। _____
Whether Veda Teacher is Samhita Pathi/
Kramant Pathi/Ghanant Pathi. Tick mark (✓)
whichever is applicable.
अन्यशाखा वेदपाठियों की योग्यता _____
10. वेद अध्यापक के गुरु का नाम _____
Name of Guru of Veda Teacher _____
11. भाषा ज्ञान : (1) मातृभाषा (2) संस्कृत (3) हिन्दी (4) अन्य कोई (5)
विदेशी भाषा (जो हो उनका उल्लेख करें) _____
Language Knowledge : (1) Mother Tongue _____
(2) Sanskrit (3) Hindi (4) Any other (5) Foreign
Language (if any, please specify) _____
12. वेद अध्यापक के अध्यापनानुभव का विवरण _____
Particulars of teaching experience of Veda teacher _____

13. संस्था/पाठशाला का नाम जहाँ सेवारत हैं, तथा किस रूप में
सेवारत हैं / Name of Institution / Pathashala
where serving with designation _____
14. वेद पाठशाला में सेवारत होने की दिनांक एवं मसारावेविप्र से मानदेय
प्रारंभ की दिनांक / Date of engagement in the Veda
Pathashala & date of commencement of
MSRVVP's Honorarium _____
15. मानदेय/परिलब्धियाँ जो वर्तमान में प्राप्त हो रही हैं _____ (प्रतिमाह)
Honorarium/Emoluments being received _____ (प्रतिवर्ष)
presently.
16. वेद के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक योग्यता का विवरण
In addition to Veda, particulars of other
academic qualifications _____
17. मानदेय प्राप्ति का स्रोत (सरकार तथा अन्य)
Source of receipt of Honorarium (Government
and others) _____
18. आपके अधीन अध्ययनरत छात्र संख्या
No. of students studying under the teacher _____
19. विगत पाँच वर्षों में मेरे द्वारा पढ़ाये गये एवं सम्पूर्ण वेदशाखा वेदविभूषण-2 वर्ष (12वीं समकक्ष)
उत्तीर्ण हुए छात्रों के नाम एवं पते ।(आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े)
The names and address of the students completedVeda /Shakha
Veda Vibhushan-2 (12th Std equivalent) course under my guidance in last five years.
(Add additional pages, if needed)
- | क्र. | नाम/Name | वर्ष/Year | पता/Address |
|------|----------|-----------|-------------|
| (1) | _____ | _____ | _____ |
| (2) | _____ | _____ | _____ |
| (3) | _____ | _____ | _____ |
20. विगत पाँच वर्षों में मेरे द्वारा पढ़ाये गये अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या
No. of failed students under me in last five years _____
21. विगत पाँच वर्षों में मेरे द्वारा पढ़ाये गये वेद अध्ययन छोड़ कर गये छात्रों
की संख्या एवं पूर्ण विवरण/No. of students who left without
completing Veda study under me in last five years
and their complete address details _____

क्रमांक	नाम	वर्ष	किस वेद कक्षा को	मोबाइल नं.	पता
S.No	Name	Year	छोड़कर गये	Mobile	Address
			Left in which	No.	
			Veda Class		

22. वेद पाठशाला से पूर्व में वेदविभूषण उत्तीर्ण ऐसे छात्रों की सूची जो वर्तमान में जो वर्तमान में राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य संगठन के अधीन कार्यरत हों

List of such Veda Vibhushan passout students of the Veda Pathashala who are currently employed in any service under State Government, Central Government or any other organization

क्र.	नाम	वर्ष	पता	कार्यरत स्थान व पद
S.No.	Name	Year	Address	Work Place & Post held
(1)	-----	-----	-----	-----
(2)	-----	-----	-----	-----
(3)	-----	-----	-----	-----
(4)	-----	-----	-----	-----
(5)	-----	-----	-----	-----

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सत्य हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि होने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी, यह मुझे स्वीकृत है। जिन छात्रों को प्रथम वर्ष में मेरे अधीन प्रवेश दिया जाएगा उन छात्रों को निरन्तर वेद अध्यापन कराना वेदभूषण (1-3)/ वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) वर्ष तक अथवा प्रतिष्ठान के निर्देशानुसार अध्यापन कराने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी।

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ, कि शाखा के वेदाध्यापन हेतु मैंने आवेदन किया है, अतः वह शाखा मुझे संपूर्ण कंठस्थ है।

I hereby declare that the information submitted is true to the best of my knowledge. In case of any wrong information submitted by me, my recognition may be rejected at any time and the same will be acceptable by me. I would be responsible for continuous teaching of Veda by myself and teaching other subjects till completion of Vedabhushan (1-3)/(1-5) and Veda Vibhushan(1-2)year course to all admitted first year students under me or to teach as per the directions of Pratishthan.

I..... have applied for the.....Shakha, therefore I solemnly state that I bear the wholeShakha by heart.

दिनांक/ Date

स्थान /Place : Name with Signature of Veda Teacher

निर्देश: आवेदन पत्र में समस्त कॉलम भरना अनिवार्य है। न भरने की स्थिति में वापस कर दिया जाएगा तथा अनुदान बाधित होगा
Instructions: It is compulsory to fill all the columns in the application form failing which application form will be returned and release of grant will be affected.

वेद के अतिरिक्त अन्य विषयों के अध्यापक का विवरण
(संस्कृत भाषा एवं अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान विषय अध्यापक का विवरण प्रपत्र)
Particulars of Teachers for Subjects Other than Veda
(Particulars Proforma for Sanskrit Language, English Language, Social Science, Mathematics and Science subject teacher)

1. नाम
Name
2. पिता/पति का नाम
Father's/Husband's
Name
3. जन्म दिनांक
Date of Birth
4. आधार नम्बर
Aadhar Number
5. लिंग/Gender पुरुष /Male ☐ महिला/Female ☐
6. वर्ग जो हो उस पर सही का चिह्न लगाए।/ Tick the applicable Category
 सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
 General Scheduled Caste Scheduled Tribe
☐ ☐ ☐

नवीनतम पासपोर्ट आकार का
रंगीन फोटो चिपकाना
अनिवार्य है।
It is mandatory to
paste a recent passport
size colour
photograph

7. पता अ) स्थायी पता/Permanent Address
- ब) वर्तमान पता
(मोबाईल नं. सहित)/
Present Address
(with Mob. No.)

8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण*

Particulars of Academic Qualification*

क्र.सं. S.No.	बोर्ड/विश्वविद्यालय Board/University	उत्तीर्ण होने का वर्ष Year of passing	श्रेणी Class	अन्य Others
1.	हाई-स्कूल/पूर्व मध्यमा High School/Purva Madhyama			
2.	इंटरमीडिएट/उत्तरमध्यमा Intermediate/Uttara Madhyama			
3.	स्नातक/शास्त्री Graduate / Shastri			
4.	स्नातकोत्तर/आचार्य Post Graduate / Acharya			

5.	अन्य/शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) Others / Shiksha Shastri (B.Ed.)			
6.	विद्यावारिधि (पीएचडी) PhD			
7.	अन्य Others			

9. अध्यापक के अधोलिखित विषयों में शैक्षणिक योग्यता एवं प्रमाण पत्र

प्राप्त/Qualifications and certificates received in the
following subjects by the teacher*

विषय Subject	उपाधी Degree	डिप्लोमा Diploma	प्रमाणीकरण Certification	बोर्ड/विश्वविद्यालय Board /University
संस्कृत Sanskrit				
सामाजिक विज्ञान Social Science				
गणित Mathematics				
संगणक यंत्र/Computer Sc Application				
विज्ञान / Science (PCM)				
योग Yoga				

10. अंतिम अध्ययनित संस्थान का नाम तथा अर्जित योग्यता

Name of the last Institution attended & qualification
acquired

11. अध्यापन कार्य का अनुभव विवरण

Details of Teaching Experience

12. अध्यापक के रूप में शिक्षित छात्रों की संख्या

As a Teacher, number of students being taught

13. (अ) अध्यापन विषय, वर्तमान में पद का नाम

(a) Subjects taught, Present Designation

(ब) संस्था/पाठशाला का नाम जहाँ सेवारत हैं

(b) Name of Institution/Pathashala, where serving

14. सेवारत होने की दिनांक

Date of Engagement

15. पूर्णकालिक अध्यापक के रूप में नित्य कितने घण्टे अध्यापन करते हैं ?

As a fulltime Teacher how much time is spent on
teaching daily?

16. वर्तमान में नियोक्ता (संस्था से) से प्राप्त मानदेय तथा अन्य भत्ते

Honorarium and other Allowances received
currently from the employing organization

17. मानदेय का अन्य स्रोत (सरकार/अन्य)

Any other source of Honorarium (Government and
others)

स्वयं प्रमाणित करता हूँ कि मैं आधुनिक विषय (संस्कृत/अंग्रेजी/गणित/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान) का अध्यापन कराता हूँ उस विषय में मेरे पास NCTE द्वारा स्वीकृत योग्यता स्नातक/परास्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय की उपाधि डिग्रीधारी हूँ। साथ ही बी.एड./सी-टेट् अथवा शैक्षणिक स्तर पर अध्यापन सम्बन्धी (बी.एड. समकक्ष) डिग्रीधारी हूँ। यदि सम्बन्धित विषय में NCTE द्वारा स्वीकृत योग्यता डिग्री नहीं है तो मेरी योग्यता स्नातक/परास्नातक स्तर पर बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वयं की रहेगी।

I certify that I have NCTE approved qualification Bachelor's/Master's degree in the modern subject concerned- which is being taught by me (Sanskrit/English/Maths/Social Science/Science) and B.Ed. or teaching related equivalent degree/C-TET. If I do not have a NCTE approved qualification degree in the subject concerned, then it will be my own responsibility to enhance my qualification by earning a recognized Bachelor's/Master's degree.

आधुनिक विषय अध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर

Name with Signature of Modern Subject Teacher

दिनांक/Date :

संस्था/पाठशाला के पदाधिकारी के

हस्ताक्षर एवं रबर मोहर

Signature of Office Bearer of Institution /

Pathashala with Rubber Seal

निर्देश: 1. संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापकों को उनके द्वारा अध्यापन कराये जा रहे विषय में NCTE द्वारा स्वीकृत स्नातक/परास्नातक डिग्री एवं बी.एड. डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य है। सम्बन्धित विषय में NCTE द्वारा स्वीकृत स्नातक/परास्नातक डिग्री एवं बी.एड. डिग्री होना सुनिश्चित करें एवं C-TET नहीं होने पर मानदेय नहीं मिलेगा।

Note : 1. The teachers of Sanskrit, English, Mathematics, Social Science, Science Subject teachers must possess NCTE approved qualification of Graduation/Post Graduation and B.Ed degree in the relevant subject and C-TET. In the absence of Graduation and B.Ed degree in the teaching subject, and C-TET they will not be given honorarium.

Approved Qualifications

Subjects for Teachers	Essential qualifications	Other Essential Subjects' combinations studied
Sanskrit and Social Science (Minimum 25 years)	Shastri(BA) in Sanskrit Shastras /BA in Sanskrit and Shiskha Shasri/B.Ed from any University and CTET OR Acharya in Sanskrit Shastras/MA in Sanskrit and Shiskha Shasri/B.Ed from any University and CTET	Must have studied any one of Social Science Subjects like History/Political Science, /Economics/Geography at Graduation level. Must have proven ability in Sambhashana Sanskrit, Sanskrit Vyakarana and Yoga Abhyasa. It is also the responsibility of the Sanskrit teacher to train the students in the basic Computer Applications.

English, Mathematics and Science (Minimum 25 years)	B.Sc. in Physics and Chemistry and Mathematics (<i>No other subject combination will be accepted</i>) with English as a Language Paper in Graduation as reflected in University Marks sheet and B.Ed from any University and CTET OR M.Sc. in Mathematics OR Physics OR Chemistry (<i>in order of preference, No other subject Specialisation will be accepted</i>) and B.Ed from any University and CTET	Must have studied English at Graduation level with proficiency essential for school level teaching. Must be ready to teach General Science to Veda Students. It is the responsibility of the Science teacher to train the students in the basic Computer Applications.
---	---	--

वेद पाठशाला योजना स्वरूप एवं संस्था एवं उन के अध्यापकों के उत्तरदायित्व
Veda Pathashala Scheme and Responsibilities of the Organisation and their Teachers

1. वेद पाठशाला नियमावली, प्रतिष्ठान का वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) पाठ्यक्रम, सभी कक्षाओं के आदर्श प्रश्नपत्र, कक्षाओं में छात्र उत्तीर्णता नियम आदि प्रतिष्ठान वेबसाइट पर 2017 से उपलब्ध हैं। अतः प्रबन्धक एवं प्रत्येक अध्यापक स्वयं परिशीलन कर अनुसरण करें। समय समय पर परिवर्तित नियम भी प्रतिष्ठान वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, वे भी लागू रहेंगे। वैधानिक दृष्टि से वे सभी नियमावली, पाठ्यक्रम आदि इस पत्र के अविभाज्य अंग माने जायेंगे।

वेद अध्यापन के स्तर, गुणवत्ता के आधार पर इकाई को वेदभूषण (1-3) अथवा वेदभूषण (1-5) अथवा एवं वेदविभूषण (1-2) की मान्यता प्रदान की जाएगी।

Guidelines for Veda Pathashalas, syllabus for Veda Bhushan (1st-5th) and Veda Vibhushan (1st – 2nd), Model Question Papers for all the classes, rules for promotion from one class to another etc. are all available on the website of the Pratishthan since 2017. Therefore, it is imperative that Manager and each teacher studies them on their own with utmost care and follow them. The rules, as amended from time to time, will also be available on the Pratishthan's website and will be applicable. From a legal standpoint, all such rules, courses etc. form inseparable part of this letter.

Based on the level and quality of Vedic teaching, the concerned unit shall be granted recognition for Vedabhushan (Level 1 to 3) / Vedabhushan (Level 1 to 5) and Ved Vibhushan (Level 1 to 2).

2. अध्यापकों को मानदेय, छात्रों को छात्रवृत्ति तथा आकस्मिक अनुदान के रूप में देय राशियाँ पूर्व निर्धारित हैं, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान की उपलब्धता के अधीन हैं।

The amounts payable by way of honorarium to the teachers and scholarships to the students and contingency grant are already fixed, subject to availability of Grant-in-Aid released by the Ministry of Education, Govt. of India.

3. सभी अनिवार्य प्रपत्र प्राप्त होने पर, अनुदान के अवशेष रहने एवं अथवा प्रत्येक वर्ष अनुदान की उपलब्धता पर प्रत्येक वेद अध्यापक को मानदेय एवं रखरखाव, आकस्मिक अनुदान (उपलब्ध हो तो) प्रतिमाह संस्था/ट्रस्ट / वेद पाठशाला के खाते में जमा होगी। प्रत्येक वेद अध्यापक के अनुपात में वेद पाठशाला में अधिकतम 10 वित्त पोषित वेद छात्र होंगे। यह मानदेय पर आधारित व्यवस्था है, स्थाई उद्योग नहीं है। उच्च गुणवत्तापूर्वक वेद एवं अन्य विषय नियमित रूप से पढ़ाते रहने पर अनुदान दिया जाना है। प्रतिष्ठान द्वारा जारी किया गया आकस्मिक अनुदान को पहले से निर्दिष्ट मदों में, जो पूर्व में सूचित हैं, ही व्ययित करना होगा, अन्यथा लौटाना है।

Upon receipt of all necessary documents, and subject to the availability of funds and any unspent balance of the grant, honorarium and maintenance grant and contingency grant (subject to availability) will be released on a monthly basis to the bank account of the Organisation/Trust/Veda Pathashala. For each Veda teacher, there will be maximum of 10 financially aided Veda students in the Pathashala. This is a system based on honorarium and not a permanent employment. The grant will be provided subject to the high quality teaching of Vedas and other subjects on a regular basis. Further, contingency grant released

by Pratishthan has to be utilized for expenses on the already notified items, failing which the amount has to be refunded.

4. सामान्यतः प्रत्येक वेद अध्यापक के अनुपात में वेद पाठशाला में अधिकतम 10 वित्त पोषित वेद छात्र पढ़ाने होंगे।

Generally there should be maximum of 10 financially-aided students under one Veda teacher in a Veda Pathashala.

5. पाठशाला के वेद अध्यापकों, संस्कृत अध्यापक, आधुनिक विषय के अध्यापक का विवरण, छात्रों के विवरण फार्म, वर्षवार तथा छात्रों की सूची जिसमें छात्र का नाम, प्रवेश दिनांक, जन्म दिनांक, पिता का नाम, माता का नाम, उन का दूरभाष, स्थायी पता, गुरु का नाम आदि प्रतिवर्ष भरकर अवश्य प्रेषित करना है।

The details of the Veda teachers, Sanskrit teachers and teachers of modern subjects of the Pathashala, along with the details of the students in the prescribed form containing the year-wise list of students particulars such as the student's name, date of admission, date of birth, father's name, mother's name, their contact number, permanent address, name of the Guru etc., must be duly filled in and submitted every year by the Veda Pathashalas to the Pratishthan.

6. निर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष के पाठ्यक्रम अनुसार छात्रों को वेद मन्त्रों का संपूर्ण सस्वर अध्यापन करना, कण्ठस्थ कराना एवं नित्य स्वाध्याय कराना वेद अध्यापक का कर्तव्य में अन्तर्गत है। बारी-बारी से दैनन्दिन दिनचर्या में अध्यापकों द्वारा निरीक्षण भी कर्तव्य में अन्तर्गत है। सन्ध्यावन्दन, अग्निकार्य, गोत्र प्रवर सहित अभिवादन एवं विविध स्तोत्र पाठ नित्य करावें। भोजन समय में विविध छन्दों में नित्य संस्कृत श्लोक पाठ, अन्नपूर्णा स्तोत्र पाठ हो। भगवद्गीता के 18 अध्यायों, शब्दरूप, धातुरूप आदि को संपूर्ण कण्ठस्थ कराने की जिम्मेदारी संस्कृत अध्यापक की है।

It is the responsibility of the Veda teacher to teach the entire Veda syllabus prescribed for a particular year to the Veda students. It is also part of the duty of the Veda teacher to guide the students in memorization, recitation and swadhyay as well as inspecting their daily routines from time to time. Sandhyavandan, Agnikarya, Abhivadan along with Gotrapravar and various Stotrapathas may be conducted daily. At the time of taking meals, Sanskrit shlokas, Annapurna Stotra etc may be recited. The Sanskrit teacher will be responsible for teaching the entire eighteen chapters of Bhagvad Gita, Shabdaroop, Dhaturup etc. in addition to syllabus.

7. प्रत्येक तिमाही में वेद मन्त्रों का परीक्षा लेना है। निर्दिष्ट प्रपत्र अनुसार वेद मंत्र अध्यापन का जायरी रखना होगा, निरीक्षण समय में दर्शाना होगा। प्रत्येक छात्र का स्वर संचालन, कण्ठस्थीकरण एवं उच्चारण की स्थिति को दर्शाना होगा।

Quarterly test of Veda learning may be conducted by each teacher. Proper records of teaching of Veda Mantras as per syllabus be maintained and will have to show the progress on intonation, memorization and recitation for each student at the time of inspection.

8. आधुनिक विषय के अध्यापक निर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष के पाठ्यक्रम अनुसार अपने अपने विषय का अध्यापन करें। वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) पाठ्यक्रम की समकक्षता को ध्यान में रखकर, एनसीईआरटी-भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के मूल बिन्दुओं के आधार पर, सभी कक्षाओं के आदर्श प्रश्नपत्र के अनुरूप आधुनिक विषयों की तैयारी करावें। प्रतिष्ठान के भी प्रत्येक वर्ष के पाठ्यपुस्तक भविष्य में उपलब्ध होंगे, तब तक आधुनिक विषय के अध्यापक एनसी ईआरटी-भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के मूल बिन्दुओं के आधार पर समकक्ष स्तर के पुस्तक के आधार पर आधुनिक विषय एवं संस्कृत पढ़ावें।

The teachers of modern subjects are responsible for teaching their respective subjects according to prescribed syllabus for each year. Keeping in view the equivalence of Veda

Bhushan (1-5) and Veda Vibhushan (1-2) with secondary and senior secondary level, the teachers may prepare the students with model question papers on the topics covered in the NCERT text books, approved by the Govt. of India. Text books of the Pratishthan for each academic year will be available in future. Till such time, the Sanskrit and modern subject teachers may teach as per the NCERT books of comparable standard.

9. अध्यापक, कर्मचारियों को समय पर अनुदान देने का संस्था/ट्रस्ट / वेद पाठशाला का उत्तरदायित्व है। अनुदान के अवशेष रहने एवं अथवा अनुदान की उपलब्धता पर ही नियमानुसार प्रतिष्ठान PFMS द्वारा अनुदान जारी करेगा, अनुदान प्राप्ति से तीन कार्य दिनों में अध्यापकों के खाते में संस्था/ट्रस्ट/ वेद पाठशाला द्वारा डिजिटल रूप में मानदेय जारी किया जाना है।

It is the responsibility of the Organization/Trust/Pathashala to make timely payments to their teachers and their employees. Subject to availability of funds, Pratishthan will release grants through PFMS as per rules. The Organization/Trust/Pathashala must transfer the amounts of honorariums to the individual teachers' bank accounts through digital mode within three working days.

10. अध्यापक की सेवा एवं समस्त शर्तें आपकी पाठशाला/ट्रस्ट/सोसाइटी प्रबन्धन की रहेगी किन्तु अध्यापक को सेवा से निलम्बन करने से पूर्व तथा सेवा से हटाने से पूर्व जो भी हो, प्रतिष्ठान सचिव की लिखित पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

Service conditions of the teachers will be as per rules framed by the Management of the Pathashala/Trust/Society. However, before termination or suspension of any teacher, prior written consent of the Secretary of the Pratishthan will have to be taken.

11. अनुदानित अध्यापक की सेवा में पाठशाला/ट्रस्ट/सोसाइटी प्रबन्धन यदि कोई कमी/कदाचार देखती है, उस स्थिति में, पहले आपसी चर्चा से सुलझा लें। अन्यथा, लिखित में नोटिस देकर निष्पक्ष रूप से जांच कराकर, संपूर्ण ट्रस्ट/सोसाइटी का प्रबन्धन समिति के समावेश में संस्तुति करें। अध्यापक को सेवा से निलम्बन करने से पूर्व अथवा सेवा से हटाने से पूर्व, प्रतिष्ठान सचिव की लिखित पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। सभी वैधानिक के व्यवहार खर्च स्वयं पाठशाला/ट्रस्ट/सोसाइटी को ही देय है।

In case any objectionable action/inconsistency/indiscipline is found in behavior of any of the financially aided teachers by the Management of the Pathashala/Trust/Society, the matter should be amicably settled through discussion, failing which written notice may be given and the matter may be placed before the Management Committee of the Trust/Society in the presence of all the members of the Committee. However, before termination or suspension of any teacher, written consent of the Secretary of the Pratishthan will have to be taken and all legal or other expenses will have to be borne by the Pathashala/Trust/Society itself.

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि कानूनी तथा अन्य व्यावहारिक दृष्टि में आपके वेद पाठशाला में अध्यापक की सेवा आप की ट्रस्ट/सोसाइटी की ही है। ट्रस्ट/सोसाइटी के इस्लाम ही हैं। वेद पाठशाला अध्यापक की सेवा, किसी भी परिस्थिति में प्रतिष्ठान की अथवा भारत सरकार की सेवा के रूप में मान्य नहीं है।

It is made clear that for all legal and other practical purposes, the Society/Trust/Management will be responsible for the services of the teachers in the Veda Pathashala as

they are the employees of the Pathashala and NOT of the Pratishthan or Govt. of India under any circumstances.

13. पाठशाला/ट्रस्ट/सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति में सगे संबन्धी, भाई-बन्धु, चाचा-ताऊ, रिश्तेदार आदि को भरकर सदस्य संख्या पूरा न करें। पारदर्शिता बनाए रखें। वेद पाठशाला अध्यापक स्वयं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्याक्ष आदि ट्रस्ट/सोसाइटी के पद पर न रहें। अपने सगे सम्बन्धियों से पाठशाला में अध्यापक स्थान हेतु आवेदन प्राप्त होने पर संस्था के अध्यक्ष/सचिव/अन्य कोई भी पदाधिकारी चयन समिति में सदस्य नहीं हो सकेंगे।

For efficient functioning of the Trust/Society, the Executive Committee must not consist of only the family members, close relatives or kith and kin. A Teacher in the Veda Pathashala must not hold the position of Chairman/Secretary/Treasurer etc in the Trust/ Society. In case of any application from a close relative for teacher's post in the Pathashala, the Chairman, Secretary, or any other office-bearer of the organization will not be allowed to be a member of the selection committee.

14. वेद अथवा अन्य अध्यापकों को किसी भी प्रकार का अनुदान तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके नियोजन को प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत न किया गया हो तथा वे संपरीक्षण में उत्तीर्ण न हुए हों। संस्था द्वारा अपने स्तर पर आयोजित संपरीक्षण के आधार पर नियोजित अध्यापकों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठान बाध्य नहीं होगा।

No grant will be provided to Veda or other teachers unless the engagement of the teacher has been approved by the Pratishthan and the teacher has qualified in the Samparikshan (Interview). The Pratishthan will not be bound to provide financial assistance for teachers engaged by the organization on their own based on Samparikshan (Interview) conducted at their discretion.

15. पाठशाला-प्रबन्धकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि वेद पाठशाला योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त वेद एवं संस्कृत अध्यापक पूर्ण समय वेद पाठशाला में समर्पित कार्य करें, विद्यालय समय में सर्वाथा अन्यत्र कार्य न करें तथा अन्य सरकारी स्रोत से मानदेय/अनुदान वृत्ति न लें।

It has to be ensured by the Management of the Pathashala that the teachers who are financially-aided by the Pratishthan devote their full time with dedication for academic activities in the Pathashala and do not accept any outside assignments during school hours or accept grants from other Government sources.

16. पाठशाला के प्रबन्धकों एवं आचार्यों को निर्देश है कि वेद एवं संस्कृत अध्ययन-अध्यापन में, वेद स्वाध्याय एवं निर्दिष्ट विषयों के शिक्षण में गुणवत्ता लाएं। वेद का स्वाध्याय करावें। संस्कृत सम्भाषण में छात्रों को प्रवीण बनावें।

The Management and teachers in the Pathashalaa are advised to make all efforts for bringing qualitative improvement in the study-teaching of Veda, Sanskrit and other subjects and encourage students in Sanskrit Sambhashan, Swadhyay daily as per Vedic tradition.

17. पाठशाला के छात्र प्रतिदिन भगवद्गीता, आचार्यों द्वारा रचित नाना स्तोत्र, सुभाषित आदि जो सर्वत्र मान्य हैं उन्हें पारायण करते हुए अर्थ ज्ञान के साथ में कण्ठस्थ करें।

The students of the Pathashalas should memorize, understand and recite every day the shlokas of Bhagwad Gita and other renowned epigrams (subhashitams) or stotras composed by Acharyas.

संस्था/ट्रस्ट / वेद पाठशाला को अनुदान की शर्तें

Terms and conditions for releasing Grant-in-aid to Veda Pathashalas/Organizations/Trusts.

1. प्रतिष्ठान में अनुदान की उपलब्धता, आपके वेद पाठशाला द्वारा सस्वर वेद अध्यापन की निरन्तरता एवं उच्च गुणवत्ता, वेद मंत्रों का उच्चारण, कण्ठस्थीकरण एवं स्वरसंचालन, छात्रों का प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा में उत्तम परिणाम आदि के आधार पर वेद पाठशाला को योजना के अन्तर्गत तात्कालिक वित्तीय सहायता- अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है।

Financial assistance in the form of grant may be provided to Veda Pathashalas under the scheme, subject to availability of funds at the Pratishthan and also subject to high quality of Sasvara Veda teaching on a regular basis with proper pronunciation, memorization and intonation of Vedic mantras and the students' performance in examinations conducted as per the Pratishthan's curriculum.

2. यह अनुदान प्रक्रिया शाश्वत अनुदान नहीं है। निरन्तर अनुदान नहीं है। अनुदान का आश्वासन भी नहीं है। वेद पाठशाला में प्रतिष्ठान का उद्योग अथवा नौकरी भी नहीं है। वेद पाठशाला योजना के अन्तर्गत सस्वर वेद अध्यापन हेतु निश्चित मानदेय पर आधारित तात्कालिक सहायता व्यवस्था है, जो अनुदान की उपलब्धता, पाठशाला में सस्वर वेद अध्यापन की निरन्तरता एवं उच्च गुणवत्ता तथा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लगातार उनके उच्च स्तरीय प्रदर्शन पर अवलम्बित है।

Release of financial assistance to Veda Pathashala is not on perpetual basis, nor is there a commitment/obligation on the part of the Pratishthan for continued release of grants. The Veda Pathashalas are not run by the Pratishthan and the employees engaged by the Pathashalas are also not employees of the Pratishthan. Financial assistance by way of fixed amount of honorarium to teachers and scholarships to students under the Veda Pathashala scheme is a temporary system and is dependent on availability of funds, high quality Sasvara Veda study/teaching in the Pathashala and its continued high level of performance in the examinations conducted by the Pratishthan.

3. वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) पाठ्यक्रम के सभी छात्रों को छात्रावास में सुरक्षित आवास की व्यवस्था में रखकर, मानक, शुद्ध सात्विक भोजन आदि व्यवस्था देकर वेद अध्यापन कराना पाठशाला प्रबंधन का स्वयं का उत्तरदायित्व रहेगा। इसे संपूर्ण स्वीकृति की स्थिति में ही रखरखाव अनुदान मिलेगा।

It is the responsibility of the Management of the Pathashala itself to make arrangement for proper accommodation, wholesome satvik food and high quality Veda study for all the students of Veda Bhushan (1-5) and Veda Vibhushan (1-2). Only on compliance of all the conditions, maintenance scholarships for the students will be released.

4. आपकी संस्था/ट्रस्ट का सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम/अन्य कोई सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत एवं संस्था का भारत सरकार के दर्पण पोर्टल में पंजीयन होना अनिवार्य है। दोनों पंजीयन प्रमाणपत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।

It is mandatory to register your organization under Societies' Registration/Trust Registration Act or any other relevant Act and also with the DARPAN Portal of NITI Aayog and enclose photocopy of both the registration certificates.

5. अध्यापक की सेवा एवं समस्त शर्तें आपकी पाठशाला/ट्रस्ट/सोसाइटी प्रबन्धन की रहेगी, आप के सोसाइटी के सम्पन्न नहीं है, किन्तु अध्यापक को सेवा से निलम्बन करने से पूर्व अथवा सेवा से हटाने से पूर्व, प्रतिष्ठान सचिव की लिखित पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

Service conditions of the teachers of your Pathashala will be as per the service rules of your Society/Trust/Management. However, before suspension or termination of any teacher, written consent of the Secretary of the Pratishthan shall have to be obtained.

6. प्रत्येक पाठशाला/ट्रस्ट/सोसाइटी प्रबन्धन अपने अध्यापकों की सेवा नियम बनाकर सोसाइटी/ ट्रस्ट/ के समस्त सदस्यों की स्वीकृति लें। “वित्त पोषित अध्यापक को सेवा से निलम्बन करने से पूर्व अथवा सेवा से हटाने से पूर्व, प्रतिष्ठान सचिव की लिखित पूर्व स्वीकृति आवश्यक है” यह अनिवार्यतः सेवा नियम का भाग रहेगा।

Society/Trust/Management of every Pathashala must frame its service rules and obtain the approval of all the members of the Society/Trust. The following clause must be incorporated in the service rule:

“Before suspension or termination of a financially-aided teacher, written consent of the Secretary of the Pratishthan shall be obtained.”

7. किसी विशेष कारण से भारत सरकार द्वारा यदि अनुदान की कटौती होगी, वह सीधा लागू होगा।

Due to any special reason if there is any reduction/cut in the amount of Grants-in-Aid by the Govt. of India, the same will be implemented immediately.

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि कानूनी अथवा अन्य व्यावहारिक दृष्टि में वेद पाठशाला अध्यापक की सेवा, किसी भी परिस्थिति में प्रतिष्ठान की अथवा भारत सरकार की सेवा के रूप में मान्य नहीं है। ट्रस्ट/ सोसाइटी वेद पाठशाला की ही सेवा रहेगी, आपका एम्प्लॉई ही रहेगा।

It is made abundantly clear that legally or otherwise, under no circumstances, the service of the teachers of the Pathashalas will be treated as service in the Central Govt. Or in the Pratishthan. They will be employees of the Society/ Trust Veda Pathashala and will be its employees.

9. मानदेय बढ़ोत्तरी, यदि प्रावधान में संभव है वह अनुदान की उपलब्धता, सस्वर वेद अध्यापन की निरन्तरता एवं गुणवत्ता, संपूर्ण वेद सस्वर कण्ठस्थीकरण, परीक्षा में अच्छे परिणाम पर अवलम्बित है, जिसे निर्दिष्ट वर्षों में आवेदन के आधार पर, गुणवत्ता निरीक्षण हेतु साक्षात्कार द्वारा परखा जायेगा।

Upgradation/ Enhancement of honorarium, if permissible under the provision, will be subject to the availability of funds, high quality of Sasvara Veda teaching on regular basis with complete memorization of the Veda with proper intonation and good examination results. The same will be assessed through Samparikshan on receipt of application after completion of specified number of years.

10. प्रतिष्ठान द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/भारतीय संविधान के प्रावधानों को पाठशाला/ट्रस्ट/सोसाइटी प्रबन्धन को पूर्णतः पालन करना होगा, एवं यह सुनिश्चित करें कि अध्यापक भी अनुपालन करें।

The management of the Pathashala/Trust/Society will strictly adhere to the orders/instructions of the Pratishthan and provisions of the Constitution of India and will ensure that the teachers also comply with the same.

11. किसी भी विवाद आदि से दूर रहकर निरन्तर छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम अनुसार सस्वर वेद अध्यापन एवं पाठ्यक्रम अनुसार अन्य विषय अध्यापन कराते रहना होगा। छात्रों को कर्मकाण्ड आदि में जोड़ना सर्वथा निषिद्ध रहेगा। किसी भी समय छात्रों को कर्मकाण्ड आदि में जोड़ते हुए पता लगने पर कार्रवाई होगी।

It is to be ensured that disputes & controversies of any kind are avoided and the students are taught the full syllabus of the Veda and other subjects with dedication. The students should not be allowed to take part in Karmakand etc. If it comes to the notice of the Pratishthan that the students are being sent for such functions, appropriate action will be taken.

12. संस्था/ट्रस्ट/ वेद पाठशाला के प्रबन्धक एवं संपूर्ण प्रबन्धक मण्डल समय समय पर अपने पाठशाला में स्वयं गुणवत्ता पूर्वक कार्य से आश्वस्त हो। वेद पाठशाला वेद अध्यापन की निरन्तरता एवं उच्चकोटि का स्वाध्याय, समय समय पर प्रशिक्षण में भागग्रहण, वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण, संपूर्ण वेदशाखा का कण्ठस्थीकरण एवं स्वरसंचालन में अत्युच्च मानक, छात्रों का प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा में निरन्तर उत्तम परिणाम आदि के आधार पर गुणवत्ता का निरीक्षण होगा।

The Manager of the Organisation/Trust/Veda Pathashala and the entire Management Committee will, from time to time, ensure and satisfy themselves regarding the quality of work carried out in the Pathashala. The quality of the Veda Pathashala will be assessed on the basis of factors such as the regularity of Veda teaching, high standards of Swadhyay, participation in training programmes from time to time, proper Sasvara recitation of Vedic mantras, complete memorization of the entire Veda Shakha along with excellent intonation and excellent performance of students in examinations conducted as per the Pratishthan's curriculum.

13. पाठशाला/ट्रस्ट अथवा कोई भी अनुदानित अध्यापक प्रतिष्ठान अथवा भारत सरकार की किसी भी नीति या निर्णय या आदेशों/निर्देशों/भारतीय संविधान के प्रावधानों का अवहेलना या सोशल मीडिया आदि में पब्लिक रूप से टिप्पणी/विमर्श नहीं कर सकते। प्रतिष्ठान अथवा भारत सरकार की किसी भी पालिसी या निर्णय या आदेशों/निर्देशों टिप्पणी/विमर्श करने पर नियम के दृष्टि से कदाचार के श्रेणी में माना जायेगा एवं नियमानुसार कार्रवाई होगी।

Criticizing any order/instruction/provisions of the Indian Constitution or policy/decision of the Pratishthan/Govt. of India or making any adverse comment in public/social media by the Management of the Pathashala/Society/Trust or any financially aided teachers will be treated as inappropriate behaviour / misconduct and necessary action will be taken as per rules.

14. प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार वेदभूषण (1-5) एवं वेदविभूषण (1-2) परीक्षा हेतु सस्वर वेद अध्यापन कराना, छात्रों को आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करना, उपर्युक्त अथवा पाठ्यक्रमानुसार प्रतिष्ठान से संचालित अन्य परीक्षा हेतु छात्रों को तैयार कर, योग्य मार्गदर्शन देकर सभी वित्तपोषित छात्रों का परीक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करना भी आप की पाठशाला का स्वयं उत्तरदायित्व रहेगा।

It will be the responsibility of your Pathashala to impart Sasvara Veda education for the Veda Bhushan (I–V) and Veda Vibhushan (I–II) as per the Pratishthan's curriculum and

also to provide education in modern subjects to the students to prepare them for the aforesaid or any other examinations conducted by the Pratishthan in accordance with the curriculum. The Pathashala will also provide proper guidance and ensure the appearance of all financially aided students in the examinations.

15. वित्त पोषित छात्रों का परीक्षा में अनुपस्थिति को गंभीर विषय माना जायेगा एवं उपयुक्त समझे जाने पर रखरखाव छात्रवृत्ति वापस ली जाएगी। छात्र या छात्रा को नियमित समय में वेद अध्ययन करना होगा, वही छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं।

Non-attendance by the financially-aided students in the examinations will be considered a serious lapse and maintenance grant may be taken back, if deemed appropriate. Only those students who are studying Veda in the regular time schedule of the Veda Pathashala, will be eligible for getting scholarship.

16. जुवेनाईल जस्टीस एक्ट, पोक्सो एक्ट इत्यादि संबद्ध अधिनियम/कानून के अन्तर्गत जो भी बाल विरोधी गतिविधियाँ हैं, उन सभी से पाठशाला के प्रबन्धन, अध्यापक, कर्मचारी एवं छात्रों को दूर रखने की जवाबदारी पाठशाला प्रबन्धन की रहेगी। आपकी छात्रों की सुरक्षा, पाठशाला चलाने की जिम्मेदारी एवं व्यवस्था, प्रतिष्ठान पालिसी एवं निर्णय या आदेशों/निर्देशों पूर्णतः पालन आपकी पाठशाला-प्रबन्धन की रहेगी।

It is the responsibility of the Management of the Pathashala to protect the Pathashala Management, Teachers, Staff and Students from any activity prohibited under the Juvenile Justice Act, POCSO Act or any other relevant Act/Law. The Pathashala Management will also be fully responsible for safety of the students, proper arrangements for running the Pathashala, compliance of the orders/ instructions and policy of the Pratishthan.

17. पाठशाला-प्रबन्धन नियमित अन्तराल में, प्रत्येक माह में गतिविधि परीशीलन करें एवं भोजन आदि व्यवस्था देखें।

The Pathashala Management should carry out inspections at regular intervals regarding monthly activities, quality of foods etc.

18. वेद पाठशाला/विद्यालय का समय-समय पर प्रतिष्ठान द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। पढ़ाई, भोजन आदि व्यवस्था में कोई भी शिकायत मिलने पर औचक निरीक्षण के समय व्यवस्था में गड़बड़ी हो तो उत्तरदायित्व पाठशाला-प्रबन्धन की रहेगी। निरीक्षण के समय अनुपस्थित अध्यापक एवं अनुपस्थित छात्र को तत्काल प्रभाव से अनुदान व्यवस्था से दूर किया जायेगा।

Pratishthan will carry out surprise inspections of the Veda Pathashalas from time to time. In case any shortcomings/lapses are found in study, food, other arrangements, the Pathashala Management will be held responsible. If any teacher or student is found absent during inspection, their grant / honorarium will be stopped immediately.

19. पाठशाला-प्रबन्धकों एवं पाठशाला के अध्यापक स्वयं भारतीय परम्परा से सुनिश्चित वैदिक वेषभूषा, शिखा, तिलक, संध्या, आचार, व्यवहार तथा स्वाध्याय विधि पालन करते हुए छात्रों से अनिवार्यतः इन का पालन कराएँ।

The Management and the teachers should themselves follow the Indian tradition, wear traditional Vedic dresses, have tilak and shikha and follow the rituals of swadhyay, sandhya etc. and ensure that the students also follow the same.

20. आप की वेद पाठशाला के आसपास के लोगों को भी वेद की महिमा एवं दिव्य वेद नाद से परिचित कराने के लिए प्रतिनित्य 30 मिनट वेद पारायण, जिसे लोग सुन सके, उस तरह करावें।
The neighborhood of the Veda Pathashala should be made aware of the divinity of the Veda and Veda mantras by performing Veda parayan for at least 30 minutes every every morning.
21. प्रथम स्वीकृत पते से अन्यत्र वेद पाठशाला का स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में प्रतिष्ठान को मान्य नहीं है। यदि आप स्वयं स्थानांतरण कर लेते हैं तो यह वित्तीय सहायता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
Shifting of the Veda Pathashala from the originally approved address is not acceptable to the Pratishthan under any circumstances. In case of any such arbitrary shifting, financial assistance will stand forfeited automatically.
22. जहाँ वेद पाठशाला संचालित है वहाँ निर्धारित संलग्न प्रारूप का स्थाई बोर्ड-लोहे का लगवाना अनिवार्य है, जिस से समाज में प्रतिष्ठान एवं भारत सरकार की वेद-अध्ययन अध्यापन, भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा पर सतत कार्य का पता चलें।
A permanent Iron Board must be fixed in front of the Veda Pathashala so that the society at large is aware of the activities and programmes of the Pratishthan/Govt. of India in the field of Vedic studies and Indian cultural heritage.
23. प्रत्येक वित्तपोषित छात्र का उनके अभिभावक के साथ संयुक्त खाता, आधार कार्ड प्रति एवं आधार संख्या उल्लेखित करना अनिवार्य रहेगा। छात्रों का रख-रखाव छात्रवृत्ति का ब्यौरा रखना भी आपका कर्तव्य होगा।
It is mandatory to open joint bank account with parents by all the financially-aided students and submit the details along with copy of Aadhar Card to the Pratishthan. Keeping proper accounts of the maintenance grants of the students will also be the responsibility of the Pathashala.
24. वेद पाठशाला के अध्यापकों का आधार कार्ड प्रति एवं आधार संख्या देना अनिवार्य रहेगा।
It is also mandatory to furnish Aadhaar Number and provide the copies of the Aadhar cards of the teachers of the Pathashalas to the Pratishthan.
25. पाठशाला-प्रबन्धकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि वेद पाठशाला योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त वेद एवं संस्कृत अध्यापक पूर्ण समय वेद पाठशाला में कार्य करें, विद्यालय समय में अन्यत्र कार्य न करें।
The Management Committee of the Pathashala must ensure that the financially-aided Veda & Sanskrit teachers devote their full working time to the Pathashala and do not work elsewhere during Vidyalaya time.
26. प्रतिमाह 20 तारीख को छात्र एवं वेदगुरु का चित्र, (दिनांक एवं समय अंकित) के साथ उपस्थिति प्रेषित कर अनुदान क्लेम किया जा सकेगा।
Financial assistance may be claimed by 20th of every month by submitting the attendance sheet with photos (with date & time) of Veda Guru and students.
27. निर्देश होने पर वेद के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों में तथा प्रतिष्ठान के वेद सम्मेलन, वेद पारायण, परीक्षा, वेद स्वाध्याय, वेद अध्यापन गुणवत्ता विकास कक्षा आदि में, कर्तव्यनिष्ठा से वेद पाठशाला के अध्यापकों को भाग लेना भी कर्तव्य होगा। पदाधिकारियों को प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित वेद सम्मेलनों /कार्यक्रमों/गतिविधियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों / परीक्षाओं में वेद तथा आधुनिक विषय के अध्यापकों को बुलाने पर आवश्यक रूप से भेजना होगा।

As per direction of the Pratishthan, the teachers of the Pathashala will have to ensure participation in various Veda related promotional activities of the Pratishthan such as Veda Sammelan, Veda Parayana, Veda Swadhyay, quality improvement in Veda teaching etc. The officials of organization are invariably required to send Veda teachers and modern subject teachers, as and when called, to participate in the Veda conferences/ programmes/activities/training programs/examinations conducted by the Pratishthan.

28. प्रतिष्ठान द्वारा समय-समय पर जारी नियमावली, पाठ्यक्रम, सूचनाएं आदि प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.msrvvp.ac.in पर उपलब्ध रहेंगी, जिसे देखकर सतत क्रियान्वयन करना वेद पाठशाला की स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। वेद पाठशाला को कोई भी सूचना (पत्राचार, छात्रों का प्रवेश, परीक्षा हेतु आवेदन भरना आदि) ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जो समय-समय पर जारी होगी।

The rules and guidelines, syllabus, notifications etc., issued by the Pratishthan from time to time, will be available in the website of the Pratishthan (www.msrvvp.ac.in). It is the responsibility of the Pathashala itself to follow the same and take appropriate action. The Veda Pathashalas will also be informed through e-mail the important notifications issued by the Pratishthan from time to time regarding admission of students, examinations etc.

29. वेद पाठशाला योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष बॉण्ड, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र, शपथ पत्र एवं प्रपत्र लिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर परिवर्तित नियम एवं शर्तें भी लागू होंगी। सभी प्रपत्र प्रतिवर्ष 20 अप्रैल तक प्रस्तुत करना होगा।

For providing financial assistance, the Veda Pathashalas are required to submit Bond, Utilization certificate certified by a Chartered Account, Affidavit and various other documents. These have to be submitted by 20th April every year.

30. निर्धारित तिथि तक अथवा निर्धारित प्रपत्र या बांड आदि सहित जानकारी प्रदान नहीं करने की स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाएगी एवं आगे अनुदान की कोई भी कार्यवाही नहीं होगी।

If the documents are not submitted within the scheduled time and date, affiliation will be automatically withdrawn and no financial assistance will be provided.

31. निर्धारित दिनांक के बाद जिस दिनांक से परीक्षित लेखे, आय-व्यय विवरण आदि प्रपत्र प्राप्त होंगे उस दिनांक के बाद का ही अनुदान पर विचार होगा। पूर्व अनुदान भुगतान हेतु प्रतिष्ठान बाध्य नहीं है।

If the documents such as audited accounts, income and expenditure statement etc are received after the due date, any consideration for financial assistance will be from subsequent date. Pratishthan is not obliged to give financial assistance from retrospective date.

32. वेद पाठशाला का निरीक्षण करने पर यदि वेद पाठशाला सुचारु रूप से व्यवस्थित / संचालित नहीं पाई जाती है अथवा वित्त पोषित अध्यापकों के अनुपात में छात्रों की संख्या में अत्यन्त कमी पायी जाती है अथवा अनुदान जिस उद्देश्य से दिया गया उस के उपयोग में अनियमितता यदि पायी जाती है अथवा वार्षिक परीक्षा परिणाम में बहुत छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं एवं प्रतिष्ठान के दृष्टि में सस्वर वेद अध्यापन एवं अन्य अध्यापन में शिथिलता पाई जाती है अथवा निर्देश होने पर वेद के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों, वेद अध्यापन गुणवत्ता विकास कक्षा में समय समय पर आप के पाठशाला अध्यापक भाग नहीं लेते हैं अथवा किसी भी विवाद की स्थिति में वेद पाठशाला योजना के उद्देश्य सफल नहीं होने के कारण, तत्काल प्रभाव से वेद पाठशाला का

अनुदान स्थगित करने का अथवा वेद पाठशाला अनुदान को निरस्त कर छात्रों के हित को ध्यान में रखकर आप के वेद पाठशाला के छात्रों को अन्यत्र वेद पाठशाला अथवा इकाई में सस्वर वेद अध्यापन व्यवस्था कराने का अधिकार प्रतिष्ठान सचिव के पास रहेगा।

On inspection of the Veda Pathashala if it is found that the Pathashala is not being run properly or there is very less number of students in proportion to financially-aided teachers or there is irregularity in utilization of the grants for the purpose for which it is granted or there is high number of failed students in the annual examinations conducted by the Pratishthan or in the opinion of the Pratishthan there is laxity in teaching in the Pathashala or the teachers of the Pathashala are not taking part in the Veda promotional activities of the Pratishthan and not participating in the quality improvement training courses on Veda or due to some disputes the purpose of the Veda Pathashala scheme is not being fulfilled, the Secretary, MSRVVP, shall have the powers to suspend or cancel grants of the Veda Pathashala with immediate effect and keeping in view the interest of students, transfer the students to other Veda Pathashalas/GSP Units for uninterrupted study of the students.

----- × -----

(अ) वेद पाठशाला योजना के लिए अनुदान का स्वरूप/

Nature of Grants for Veda Pathashala Scheme

1. अनुदान के अवशेष रहने एवं अनुदान की उपलब्धता पर प्रत्येक वेद अध्यापक को प्रदेय मानदेय के रूप में प्रतिमाह रु. 27,500/- (0 से 5 वर्ष), 33,000/- (05 से 10 वर्ष), 38500/- (10 वर्ष से अधिक) वेद पाठशाला के खाते में सहायता राशि जमा होगी। प्रत्येक वेद अध्यापक के अनुपात में वेद पाठशाला में अधिकतम 10 वित्तपोषित वेद छात्र होंगे। यह वेद अध्यापन हेतु मानदेय पर आधारित व्यवस्था है, न कि किसी नियमित पद के विरुद्ध स्थायी उद्योग है। वेद अध्यापन हेतु यह तात्कालिक सेवा व्यवस्था, सृजित पद पर नियुक्ति नहीं है, पद आधारित वेतन व्यवस्था भी नहीं है।

Subject to any unspent balance and availability of grant, each Veda teacher will be given monthly honorarium of Rs. 27,500/- (0 to 5 years), Rs. 33,000/- (05 to 10 years), Rs. 38500/- (more than 10 years) every month and the honorarium amount will be released in the account of Veda Pathashala. For each Veda teacher, there will be a maximum of 10 financially aided Veda students in Veda Pathashala. This is an honorarium based arrangement for teaching of Veda and NOT a permanent employment against a regular post, nor a salary based engagement.

2. मानदेय के रूप में अनुदान शाश्वत अनुदान नहीं है, निरन्तर अनुदान भी नहीं है, वेद पाठशाला में स्थाई उद्योग अथवा नौकरी नहीं है। वेद पाठशाला योजना के अन्तर्गत सस्वर वेद अध्यापन हेतु निश्चित मानदेय पर आधारित सहायता व्यवस्था है, जो अनुदान की उपलब्धता, सस्वर वेद अध्यापन की निरन्तरता एवं उच्च गुणवत्ता पर आधारित है। समय पर मानदेय प्रदान करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का ही रहेगा। अन्य किसी भी सरकार से/ सरकारी स्रोत से/ सरकारी ट्रस्ट से वेद अध्यापन हेतु वेद पाठशाला को अनुदान प्राप्त करने पर यह अनुदान देय नहीं होगा। इस हेतु स्वयं उद्घोषणा कर शपथपत्र देना होगा।

The grant in the form of honorarium is neither perpetual nor continuous. It is also NOT permanent employment in the Veda Pathashala. This is an arrangement of financial assistance based on fixed honorarium for teaching Saswara Vedas under the Veda Pathashala Scheme, which is subject to availability of grant, high quality teaching of Saswara Vedas on a regular basis. The organization will be entirely responsible for timely payment of the honorarium. In case the Veda Pathashala is in receipt of grant for teaching Vedas from any other government / government source / government trust no grant will be released. A self-declaration and an affidavit to this effect has to be furnished for the same.

3. अनुदान की उपलब्धता पर प्रत्येक वित्तपोषित एवं आधार कार्ड प्राप्त छात्र को रु. 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह (प्रत्येक वेद अध्यापक के अनुपात में अधिकाधिक 10 छात्रों को) छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें रु. 3500/- (तीन हजार पांच सौ रुपये मात्र) रख-रखाव (भोजन, वस्त्र, आवास, आदि हेतु) छात्रवृत्ति का भुगतान वेद पाठशाला के खाते में एवं रु. 1500/- (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) प्रत्येक छात्र की स्वयं की छात्रवृत्ति छात्र के उनके अभिभावक (माता अथवा पिता उनके न होने पर विधि मान्य संरक्षक) के साथ संयुक्त खाते में जमा होगी।

Subject to availability of grants, every financially aided and Aadhar card holder student will be provided with a stipend of Rs. 5000/- (Rupees five thousand only)

per month (for a maximum of 10 students under each Veda teacher) , out of which maintenance (food, clothing, accommodation etc.) stipend of Rs. 3500/- (Rupees three thousand five hundred only) will be released in the account of Veda Pathashala and Rs. 1500/- (Rupees one thousand five hundred only) for personal expenses of the student will be released in the joint account of the student & his/her guardian (legal guardian in absence of parents).

4. पाठशाला योजना में संयोजित होने पर भी, भारत सरकार के आधार कार्ड प्राप्त वेदपाठी/अध्यापक को ही मानदेय जारी होगा, आधार कार्ड प्राप्त वेद छात्र को ही छात्रवृत्ति मिलेगी ।

Even after being included in the Pathashala Scheme, honorarium will be released to only the Veda Pathi/Teacher possessing Govt. of India's Aadhaar Card and only the Veda students possessing Aadhaar Card will receive stipend.

5. वेद पाठशाला योजना के अन्तर्गत मान्य नवीन अनुदान तभी देय होगा जब भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होगा एवं अध्यापक नियमानुसार पढ़ाएंगे, वेद विद्यालय में कक्षा में छात्रों की साक्षात् उपस्थिति होगी, निरन्तर अध्ययन करेंगे तथा आवासीय रूप में छात्र विद्यालय-छात्रावास से निवास करेंगे। घर से आने जाने वाले छात्र को किसी भी परिस्थिति में छात्रवृत्ति (रखरखाव एवं स्वयं की छात्रवृत्ति) का भुगतान नहीं किया जायेगा।

Grants for the newly affiliated Veda Pathashalas under the Veda Pathashala Scheme will be released when the grant is received from the Government of India, the teachers teach on regular basis in physical presence of the students in the class and the students reside in the Vidyalaya hostel. Stipend (maintenance and self expenses) will NOT be paid to day students (who commute daily from home to Pathashala and vice versa) under any circumstances.

6. पाँच (5) वर्ष एवं दस (10) वर्ष सेवा के बाद में वेद एवं अन्य अध्यापक मानदेय बढ़ोतरी अनुदान की उपलब्धता के आधार पर, सस्वर वेद एवं अन्य सभी अध्यापनीय विषयों में अध्यापन की निरन्तरता एवं उच्च गुणवत्ता पर आधारित है, जिसे संपरीक्षण द्वारा परखा जायेगा, संपरीक्षण में उत्तीर्णता एवं मूल्याङ्कन में सफल रहने पर ही मानदेय बढ़ोतरी पर विचार होगा।

Enhancement in honorarium of Veda and other teachers after five (5) years and ten (10) years of service is subject to availability of grant, high quality teaching of Saswara Vedas and all other subjects on regular basis, which will be evaluated through Samparikshan(Interview). Enhancement of honorarium will be considered after being successful in Samparikshan and evaluation.

7. मानदेय बढ़ोतरी वेदशाखा कण्ठस्थीकरण, वेद विकृति पाठ कण्ठस्थीकरण, वेदभाष्य अध्ययन एवं ज्ञान, वेदाङ्ग अध्ययन एवं अन्य सभी वेद अध्यापक द्वारा अभ्यस्त विषय के कण्ठस्थीकरण एवं ज्ञान पर आधारित है। आधुनिक विषय एवं भाषा अध्यापकों द्वारा भी अध्यापनीय विषयों में निरन्तर अध्यापन, उच्च गुणवत्ता बनाये रखना होगा। मानदेय बढ़ोतरी हेतु संपरीक्षण में उत्तीर्णता तथा निरन्तर अध्यापन, उच्च गुणवत्ता मानक रहेगा।

Enhancement in honorarium is subject to memorization of Veda Shakha, memorization of Veda Vikriti Path, study and knowledge of Veda Bhasya, study of Vedanga and memorization and knowledge of the subjects practiced by the

Veda teacher. Modern subject and language teachers will also have to maintain high quality teaching on a regular basis in the subjects taught. Enhancement in honorarium is subject to passing the Samparikshan and imparting high quality teaching on a regular basis.

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रतिवर्ष 50 घंटे का गुणवत्ता विकास कक्षा में स्वयं के व्यय से भाग लेना वेद अध्यापक को भी अनिवार्य है।

In accordance with the National Education Policy 2020, attending quality improvement classes at your own expense for a total of 50 hours in a year is mandatory for Veda teachers also.

9. अध्यापक मानदेय एवं मानदेय बढ़ोतरी को, छात्रवृत्ति को किसी भी तरह अधिकार न समझा जा सकेगा।

The teacher's honorarium, enhancement in honorarium and students' stipend cannot be considered as a right in any way.

10. वेद पाठशालाओं में संस्कृत अध्यापक एवं आधुनिक विषय (अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान) के अध्यापकों की सेवाएँ (इस आदेश में संमिलित न होने पर) प्रतिष्ठान से स्वीकृति प्राप्त कर प्रतिष्ठान की निर्धारित प्रक्रियानुसार साक्षात्कार के पश्चात् मानदेय के लिये योग्य मानी जायेंगी। अनुदान की उपलब्धता पर संस्कृत अध्यापक को रु. 30,000/- (0 से 5 वर्ष), 33,000/- (05 से 10 वर्ष), 35,000/- (10 वर्ष से अधिक) प्रतिमाह एवं आधुनिक विषय अध्यापकों को रु. 25000/- (0 से 5 वर्ष), 30,000/- (05 से 10 वर्ष), 35,000/- (10 वर्ष से अधिक) प्रतिमाह मानदेय प्रदेय होगा। संस्कृत अध्यापक को (संस्कृत व सामाजिक विज्ञान) तथा गणित विषय अध्यापक को (गणित, सामान्य विज्ञान व अंग्रेजी) का अध्ययन कराना होगा। आधुनिक विषय एवं भाषा अध्यापकों द्वारा भी अध्यापनीय विषयों में निरन्तर अध्यापन, उच्च गुणवत्ता बनाये रखना होगा। आधुनिक विषय अध्यापकों हेतु पाठशाला योजना नियमावली में निर्धारित योग्यता नहीं होने की स्थिति में मानदेय जारी नहीं किया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रतिवर्ष 50 घंटे का गुणवत्ता विकास कक्षा में स्वयं के व्यय से भाग लेना वेद अध्यापक को भी अनिवार्य है। प्रारम्भिक स्तर पर प्रतिष्ठान एक पाठशाला के लिए वेद अध्यापकों के अतिरिक्त केवल 02 अध्यापकों की स्वीकृति ही करेगा, सिवाय उनके जहाँ पहले से अधिक संख्या में अध्यापक विद्यमान हैं।

The engagement of Sanskrit teacher and teachers of modern subjects (English, Mathematics, Social Science, General Science) in Veda Pathashalas (if not included in this order) will be considered eligible for honorarium after obtaining approval from the Pratishthan and conducting Interview as per the Pratishthan's prescribed procedure. Subject to availability of grant, Sanskrit teacher will be paid Rs. 30,000/- (0 to 5 years), Rs. 33,000/- (05 to 10 years), Rs. 35,000/- (more than 10 years) and modern subject teachers will be paid Rs. 25000/- (0 to 5 years), Rs. 30,000/- (05 to 10 years), Rs. 35,000/- (more than 10 years) on monthly basis. Sanskrit teacher will have to teach (Sanskrit and Social Science) and Mathematics teacher will have to teach (Mathematics, General Science and English). Modern subject and language teachers will also be required to maintain high quality teaching in the subjects taught on a regular basis. Honorarium will not be released in case the eligibility criteria prescribed for modern subject teachers in the Pathashala Scheme

Guidelines are not fulfilled. In accordance with the National Education Policy 2020, attending quality improvement classes at teachers' own expense for a total of 50 hours in a year is mandatory for Veda teachers also. Initially Pratishthan will approve only 02 teachers apart from Veda teachers for a Pathashala, except where already more exists.

11. यदि संस्था को दो से अधिक आधुनिक विषय अध्यापकों की आवश्यकता हो, तो उसकी व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के वित्तीय स्रोतों से करनी होगी।

If more than two modern subject teachers are required by the institution, then the organization will have to make arrangement for the same from its own financial sources.

(आ) अनुदान की शर्तें/ Terms of Grant

12. प्रतिष्ठान में अनुदान की उपलब्धता, आपके वेद पाठशाला द्वारा सस्वर वेद अध्यापन की निरन्तरता एवं गुणवत्ता, वेद मंत्रों का सही उच्चारण, कण्ठस्थीकरण एवं वेद मन्त्र स्वरसंचालन, छात्रों का प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार परीक्षा में उत्तम परिणाम, निर्विवादित होकर विद्यालय व्यवस्था के आधार पर वेद पाठशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिष्ठान की एक योजना है।

Pratishthan has a scheme for providing financial assistance to Veda Pathashalas which is subject to availability of grants in the Pratishthan and also subject to imparting high quality Veda teaching on a regular basis with emphasis on correct pronunciation, memorization of Veda Mantras, correct hand movements while reciting Veda Mantras, excellent results by the students in the examinations conducted by the Pratishthan as per the syllabus of Pratishthan and the overall orderly and dispute-free management of the Veda Pathashala.

13. प्रतिष्ठान द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों एवं भारतीय संविधान के प्रावधानों का आपको पूर्णतः पालन करना होगा।
The Veda Pathashala must abide by the orders/instructions of the Pratishthan and provisions of Constitution of India in letter and spirit.
14. किसी भी विवाद आदि से दूर रहकर निरन्तर छात्रों को उच्च कोटि के साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम अनुसार सस्वर वेद अध्यापन एवं अन्य आधुनिक भाषा एवं विषय अध्यापन कराते रहने पर सहायता के रूप में मानदेय देने का प्रावधान है। मानदेय रूप में अनुदान शाश्वत अनुदान नहीं है, निरन्तर अनुदान भी नहीं है, वेद पाठशाला में स्थाई उद्योग अथवा नौकरी नहीं है। वेद पाठशाला योजना के अन्तर्गत सस्वर वेद अध्यापन हेतु निश्चित मानदेय पर आधारित सहायता व्यवस्था है।

There is a provision to provide honorarium in the form of assistance subject to imparting high quality teaching of Saswara Veda recitation and also subject to teaching other modern languages and subjects on a regular basis to the students as per the complete syllabus and adherence to a conduct free from any controversy. The grant in the form of honorarium is neither a permanent grant nor a perpetual grant, also this is NOT a permanent employment or job in the Veda Pathashala.

This is an assistance system based on fixed honorarium for teaching Saswara Vedas under the Veda Pathashala Scheme.

15. पाठशाला/ट्रस्ट अथवा कोई भी संबद्ध अध्यापक द्वारा प्रतिष्ठान अथवा भारत सरकार की किसी भी पॉलिसी या निर्णय या आदेशों/निर्देशों/भारतीय संविधान के प्रावधानों का अवहेलना या टिप्पणी/विमर्श /तिरस्कार करने पर इसे कदाचार (मिस्कॉन्डक्ट) श्रेणी में माना जायेगा।

Violation of any policy, decisions, orders or instructions of MSRVVP/GoI, making adverse remark or showing disrespect to the provisions of Constitution of India by the Pathashala/Trust or any affiliated teacher will be treated as 'misconduct' on their part.

16. पाठशाला/ट्रस्ट अथवा इन के पदाधिकारी द्वारा, कोई भी संबद्ध अध्यापक या बाहरी व्यक्ति द्वारा अनुदान बढ़ाने, अनुदान के बारे में किसी भी तरह का दुष्प्रचार, अध्यापकों की संख्या बढ़ाने हेतु दबाव डालना अनुदान के शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।

Any negative publicity regarding the grant, any demand to enhance the grant or any pressure to increase the number of teachers, whether made by the Pathashala/Trust, its officials, affiliated teachers or outsiders, will be considered a violation of the terms and conditions of Grants.

17. प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार वेदभूषण (1-3 ; कक्षा 6 से 8 के समकक्ष) एवं अथवा वेदभूषण (4-5 ; कक्षा 9 से 10 के समकक्ष) एवं अथवा वेदविभूषण (1-2 ; कक्षा 11 से 12 के समकक्ष) परीक्षा हेतु सस्वर वेद अध्यापन कराना, छात्रों को आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करना, उपर्युक्त अथवा प्रतिष्ठान पाठ्यक्रमानुसार प्रतिष्ठान के बोर्ड के अन्य परीक्षा हेतु छात्रों को तैयार कर, योग्य मार्गदर्शन देकर परीक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करना भी आप की पाठशाला का स्वयं उत्तरदायित्व रहेगा।

It will be the sole responsibility of the Pathashala to teach Saswara Veda recitation for the Veda Bhushan (I–III ; equivalent to 6th-8th Std.) and/or Veda Bhushan (IV–V; equivalent to 9th-10th Std.) and/or Veda Vibhushan (I–II; equivalent to 11th-12th Std.) examinations as per the Pratishthan's curriculum; to provide students with education in modern subjects; and to prepare students for the aforesaid or other examinations conducted by the Pratishthan's Board in accordance with the prescribed curriculum and to offer appropriate guidance to students and to ensure their appearance in the examinations.

18. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में सस्वर वेद, वेद की अन्य गतिविधियां एवं आधुनिक विषयों के बोधन के गुणवत्ता के आधार पर

(अ) वेदभूषण (1-3) सामान्य शिक्षा में 6वीं से 8वीं

अथवा----

(आ) वेदभूषण (4-5) सामान्य शिक्षा में 9वीं एवं 10 वीं

अथवा----

(इ) वेदविभूषण (1-2) सामान्य शिक्षा में 11वीं एवं 12 वीं

स्तर में से किसी एक स्तर, दो स्तर, या तीन स्तर अथवा यथायोग्य स्तर तक की संबद्धता एवं मन्यता नियन्त्रित की जा सकेगी। गुणवत्ता नहीं होने पर अनुदान एवं संबद्धता एवं मन्यता समाप्त की जा सकेगी।

According to National Education Policy 2020, on the basis of quality of Saswara Veda recitation, other activities pertaining to Vedas and understanding of modern subjects in the Vidyalaya,

- (a) Veda Bhushan (I–III) 6th to 8th in conventional education

Or----

- (b) Veda Bhushan (IV–V) 9th and 10th in conventional education

Or----

- (c) Veda Vibhushan (I–II) 11th and 12th in conventional education

Affiliation and recognition may be regulated upto any one level, two levels, or three levels or appropriate level. In case of lack of quality, grant, affiliation and recognition may be terminated.

19. वेदभूषण (1-5) को कक्षा 6 से 10 की सामान्य शालेय शिक्षा के समान मान्यता तथा वेदविभूषण (1-2) को 11 एवं 12 कक्षा सामान्य शिक्षा के समान मान्यता सरकार द्वारा दी गई है।

Veda Bhushan (I-V) has been given equal recognition to classes 6th to 10th of conventional school education and Veda Vibhushan (I-II) has been given equal recognition to classes 11th and 12th of conventional education by the Government.

20. आप के पाठशाला के समस्त अध्यापकों द्वारा महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन का सम्बद्धता के नियमानुसार पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है, तथा प्रतिष्ठान के अन्तर्गत स्थापित महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की ही परीक्षाओं में छात्रों की उत्कृष्ट तैयारी के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करानी है। अध्यापक एवं छात्रों को समग्र वेद शाखा का सस्वर कण्ठस्थीकरण अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार वेदशाखाओं, आधुनिक विषयों एवं भाषाओं में उत्कृष्ट अध्ययन- तैयारी रहे। अन्य किसी भी बोर्ड से अथवा विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने पर यह अनुदान निरस्त होगा।

All the teachers of your Pathashala have to teach the syllabus of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Vidya Pratishthan, Ujjain as per the rules of affiliation, and ensure the attendance of students and their excellent preparation in the examinations of **Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board established** under the Pratishthan. It is mandatory for teachers and students to Saswara memorize the entire Veda Shakha. There should be excellent study and preparation of Veda Shakhas, Modern Subjects and languages as per the syllabus of each year. This grant will be stopped if affiliation is taken from any other Board or University.

21. पाठशाला छात्रों की समग्र रीति से सुरक्षा (भौतिक एवं नैतिक रीति से), अनुदान के रिकार्ड संरक्षित करना, उत्कृष्ट तैयारी एवं व्यवस्थित रूप में पाठशाला चलाने की जिम्मेदारी- उत्तरदायित्व, उद्देश्य की पूर्ति एवं व्यवस्था पूर्णतः आपकी पाठशाला-प्रबन्धन की जिम्मेदारी रहेगी।

The Pathashala Management will be solely responsible for : the overall safety of the Pathashala students (both physically and morally); the preservation of records of grants; the excellent preparation of students, and the systematic operation of the Pathashala to fulfill its objectives and arrangements.

22. जुवेनाईल जस्टीस एक्ट, पोक्सो एक्ट इत्यादि संबद्ध कानून के अन्तर्गत जो भी बाल विरोधी गतिविधियाँ हैं, उन सभी से आप, आप के सभी अध्यापक, कर्मचारी एवं सभी छात्र दूर रहेंगे। संस्था में/परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाखु/नशीला पदार्थ, पानपराग आदि सेवन करना/ बेचना/स्वयं के पास रखना/दूसरे को खिलाना आप, अध्यापक एवं आप के सभी छात्र द्वारा सर्वथा प्रतिबन्धित है एवं दण्डनीय अपराध है। किसी भी छात्र का शारीरिक/मानसिक दण्ड, तथा अन्य तरह का प्रताड़ना सर्वथा निषिद्ध एवं कानूनों/नियमों के अधीन दण्डनीय अपराध है।

The Veda Pathashala will have to ensure that no provision of Juvenile Justice Act, POCSO Act and other relevant Acts is violated by the Veda Pathashala, all the teachers, employees and students of Veda Pathashala. Possession, consumption or encouraging others to consume any kind of intoxicating substance such as tobacco, paan masala etc. by the teachers or the students of Veda Pathashala is prohibited. Inflicting physical or mental torture and any other kind of torture to any student of the Veda Pathashala is also prohibited and punishable under the laws/rules.

23. समस्त अध्यापकों का समय सारणी अनुसार भोजन समिति व्यवस्था, छात्रों का योग-क्षेम, दैनन्दिन सन्ध्या, स्तोत्र पाठ व्यवस्था, विविध विषयों की तैयारी, परीक्षा हेतु तैयारी, वेद पारायण, विविध भाषा कौशल संवर्धन, कौशल संवर्धन में जिम्मेदारी रहेगी। समय-सारणी अनुसार सन्ध्यावन्दन, अग्निकार्य, गोत्र प्रवर सहित अभिवादन एवं विविध स्तोत्र पाठ अध्यापक नित्य करावें। भोजन समय में संस्कृत श्लोक पाठ, अन्नपूर्णा स्तोत्र पाठ होना सुनिश्चित करें। भगवद्गीता के 18 अध्यायों, शब्दरूप, धातुरूप आदि को संपूर्ण कण्ठस्थ कराने की जिम्मेदारी समस्त अध्यापकों की है।

All the teachers will be responsible for food committee arrangement, students' welfare, daily Sandhya, stotra patha arrangement, preparation of various subjects, preparation for examinations, Veda Parayana, various language skill enhancement, skill enhancement as per the time-table. Further, the teachers should regularly conduct Sandhyavandan, Agnikarya, Abhivadan including Gotra Pravar and various stotras chanting on a daily basis. During meal times, they should ensure Sanskrit Shloka Path and Annapurna Stotra Path. It is the responsibility of all the teachers to facilitate the students' memorization of the entire 18 chapters of the Bhagavad Gita, along with Shabdroop, Dhaturup etc.

24. आसपास के इच्छुक लोगों को भी वेद की महिमा एवं दिव्य वेद नाद से परिचित कराने के लिए प्रतिनित्य 30 मिनट समयसारणी अनुसार वेद पारायण करने की जिम्मेदारी वेद अध्यापकों की है।

Veda teachers are tasked with a daily Veda Parayan for 30 minutes as per the schedule to ensure widespread awareness of the glory of Vedas and their divine sound among nearby interested people.

25. आसपास के सामाजिक लोगों को, इच्छुक लोगों को भी वेद की महिमा से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रतिमाह 3 किलोमीटर की शोभायात्रा, अन्य वेद विद्यालय के सहयोग से विद्यालय प्रबन्धन को आयोजित करना होगा। शोभायात्रा में सभी अध्यापकों को सम्मिलित रहकर सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करना होगा।

The local/social people who are interested in Vedas should also be made aware of the divinity of the Vedas. For this purpose, a monthly Shobha Yatra (procession) of 3 Kms may be organised by the Vidyalaya management in collaboration with the other Veda Vidyalayas. All the Veda Pathashala/ Vidyalaya teachers have to participate in the Shobha Yatra and provide proper guidance.

26. वेद पाठशाला/विद्यालय का समय-समय पर प्रतिष्ठान द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इस हेतु सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराना होगा।

The Veda Pathashala/Pathashala will be periodically inspected from by the Pratishthan. For this purpose, all the records will have to be made available.

27. पाठशाला-प्रबन्धकों एवं आप के अध्यापक स्वयं भारतीय परम्परा से सुनिश्चित वैदिक वेषभूषा, आचार, व्यवहार तथा स्वाध्याय विधि पालन करते हुए छात्रों से अनिवार्यतः इनका पालन कराएं।

The managers of the Pathashala, its teachers should themselves follow the Indian tradition, wear traditional Vedic dresses, conduct, behave and follow Swadhyaya Vidhi as per the Indian tradition and ensure that the students follow the same.

28. पते पर जहाँ वेद पाठशाला संचालित है वहाँ निर्धारित संलग्न प्रारूप का स्थाई बोर्ड लगवाना अनिवार्य है जिससे वेदविद्या का संरक्षण, प्रचार-प्रसार में भारत सरकार एवं प्रतिष्ठान का आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक योगदान समाज में पता चलें।

A permanent board, in the enclosed format, must be affixed at the address where the Veda Pathashala is being run so that the society at large becomes aware of the financial, cultural and academic contribution of the Pratishthan and Govt. of India in preservation and propagation of Vedic knowledge.

29. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते समय, प्रत्येक वित्तपोषित छात्र का उनके अभिभावक के साथ संयुक्त खाता, आधार कार्ड प्रति एवं आधार संख्या उल्लेखित करना अनिवार्य रहेगा। छात्रों का रख-रखाव छात्रवृत्ति का खर्च के ब्यौरा 5 वर्ष तक सुरक्षित रखना भी आपका कर्तव्य होगा। वेद पाठशाला के अध्यापकों का आधार कार्ड एवं आधार संख्या देना अनिवार्य रहेगा।

While applying for scholarship, it will be mandatory to mention the joint account of each financially aided student with their guardian, Aadhaar card copy and Aadhaar number. It will also be your (Veda Pathashala) duty to keep proper accounts of expenditure of students' maintenance scholarship safe for 5 years. Further, it will be mandatory for the teachers of Veda Pathashala to provide their Aadhaar card and Aadhaar number.

30. वेद पाठशाला योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष बॉण्ड, चार्टर्ड अकाउन्टन्ट द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र, शपथ पत्र एवं प्रपत्र लिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर परिवर्तित नियम एवं शर्तें भी लागू होंगी। सभी प्रपत्र प्रतिवर्ष 20 अप्रैल तक प्रस्तुत करना होगा।

For providing financial assistance under the Veda Pathashala Scheme, the Veda Pathashalas are required to submit bond, Utilization certificate certified by a Chartered Accountant, affidavit and proforma every year. The terms and conditions, as amended from time to time will also be applicable under this scheme. All the proformas have to be submitted by 20th April every year.

31. प्रतिमाह 20 तारीख को छात्र एवं वेदगुरु का चित्र, (दिनांक एवं समय अंकित) के साथ उपस्थिति प्रेषित कर अनुदान क्लेम किया जा सकेगा। प्रतिमाह वेद अध्ययन का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण में अनुपस्थित एवं उपस्थिति में किसी तरह का अनुचित प्रवृत्ति पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुदान निरस्त रहेगा।

Financial assistance may be claimed every month by enclosing attendance sheet along with photos (with date & time) of the students and the Veda Guru on 20th of every month. Monthly inspection of Veda Adhyana will be conducted. If any teacher or student is found absent or any discrepancy is found in attendance during the inspection, their grant will be immediately terminated.

32. निर्देश होने पर वेद के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों में तथा प्रतिष्ठान के वेद सम्मेलन, वेद पारायण, परीक्षा, वेद स्वाध्याय, वेद अध्यापन गुणवत्ता विकास कक्षा आदि में, कर्तव्यनिष्ठा से वेद पाठशाला के अध्यापकों को भाग लेना भी कर्तव्य होगा।

As per direction of the Pratishthan, the teachers of Veda Pathashala will have to take part in various promotional activities pertaining to Vedas and in Veda Sammelan, Veda Parayana, Examination, Veda Swadhyay, Quality Improvement Programme in Veda teaching etc. of the Pratishthan.

33. विद्यालय में सेवारत अध्यापकों को वेद एवं अन्य विषय अध्यापन गुणवत्ता विकास हेतु अगले पाँच वर्ष तक, वेद पारायण, वेद स्वाध्याय वर्ग, एवं प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक वर्ष 30 दिन प्रतिष्ठान में स्वयं के व्यय में उपस्थित रहना होगा। इसे निरीक्षण कर ही मानदेय जारी होगा। समय समय पर गुणवत्ता विकास हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे, जिस का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

Teachers serving in the Vidyalaya will have to mark their presence in the Pratishthan for 30 days every year at their own expense for the next five years for Veda Parayana, Veda Swadhyaya Varg and training for quality development in

teaching Vedas and other subjects. Honorarium will be released only after inspection. Instructions will be issued from time to time for quality development, which will be mandatory to follow.

34. प्रतिष्ठान द्वारा समय-समय पर जारी सूचनाएं प्रतिष्ठान के वेबसाइट www.msrvvp.ac.in पर उपलब्ध रहेंगी, जिसे देखकर सतत क्रियान्वयन करना वेद पाठशाला की स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। वेद पाठशाला को कोई भी सूचना (पत्राचार, छात्रों का प्रवेश, परीक्षा हेतु आवेदन भरना आदि) ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जो समय-समय पर वैधानिक रूप से जारी मानी जाएगी।

The notifications issued by the Pratishthan from time to time will be available on the Pratishthan's website (www.msrvvp.ac.in), and it will be the responsibility of the Veda Pathashala to follow and implement it on a regular basis. Any information (correspondence, admission of students, filling up of examination form etc.) will be communicated to the Veda Pathashala via E-mail, which will be considered legally issued from time to time.

- (इ) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की सूचनाएं, संबद्धता एवं पाठ्यपुस्तक/ Notifications, Affiliation and Textbooks of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board

प्रतिष्ठान के अन्तर्गत स्थापित एवं सरकार से मान्यता प्राप्त महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की संबद्धता नियमानुसार लेनी होगी, समस्त निर्देशों को पालन कराना एवं बोर्ड की परीक्षा में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करानी होगी। समय-समय पर जारी सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट <https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/> पर उपलब्ध हैं। अन्य किसी भी बोर्ड से संबद्धता लेना सख्त मना है, किसी भी अन्य बोर्ड से संबद्धता लेना अवैध है।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के अन्तर्गत स्थापित महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदसंस्कृत शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें प्रतिष्ठान के वेबसाइट www.msrvvp.ac.in एवं <https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/> पर उपलब्ध हैं, इन्हें अथवा अधिक अध्ययन इच्छुक छात्रों को एनसीईआरटी की पुस्तकों के आधार पर आधुनिक विषय पढ़वाना सुनिश्चित करें। वेदशाखा के पढ़ाई में आधारभूत शुद्ध एवं सस्वर वेद के पुस्तकों हेतु वेद गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board has been established under the Pratishthan and has been recognized by the Govt. As per rule the Veda Pathashala will have to take affiliation from the Board, comply with all instructions of the Board and ensure students' participation in the exams. Notification issued from time to time is available on the website of the Board (<https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/>). The affiliated Veda Pathashala is strictly prohibited from taking affiliation from any other Board. Doing so will be illegal.

The text books of Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board, set up under MSRVVP, Ujjain, is available on the website of Pratishthan (www.msrvvp.ac.in) and the board's website (<https://msrvvp.ac.in/msrvssb1/>). The Veda Pathashala teacher will have to ensure that the modern subjects are taught to students as per these

Text-books or NCERT textbooks. Guidance may be obtained from Veda Guru regarding the fundamental books for the study of Veda Shakha.

शुद्ध वेद ग्रन्थ, वेद कण्ठस्थीकरण, उच्चारण शुद्धता एवं सस्वर पाठ /Shudha Veda Granth, Memorization of Vedas, Correct Pronunciation and Sasvara Patha.

वेदशाखा के सस्वर अध्ययन एवं सस्वर अध्यापन में आधारभूत शुद्ध एवं सस्वर वेद के ग्रन्थों को वेद गुरु स्वयं जानते हैं, इस विषय में अपने गुरु परम्परा से मार्गदर्शन प्राप्त करें। वेद मन्त्रों का एवं प्रत्येक अक्षर का सस्वर उच्चारण शुद्ध एवं मानक रूप से होना सुनिश्चित करें। यथा-श, ष, स, च, व,ब, महाप्राण अक्षर। स्वरों का प्रदर्शन हेतु हस्तसंचालन, कण्ठस्थीकरण एवं सस्वर शुद्ध उच्चारण में विशेष ध्यान दें। गुरु एवं छात्र को स्वयं की अध्येय शाखा का संपूर्ण कण्ठस्थीकरण अनिवार्य है।

The Veda Guru is well aware of the fundamental books pertaining to respective Veda Shakhas that are required in studying and teaching Saswar Vedas . If needed, guidance from Guru Parampara for the same may be obtained. Standard and accurate saswara pronunciation of Vedic Mantras and each letter is to be ensured by the Veda Guru of the Veda Pathashala. For example- Aspirated Consonants like श(śa), ष(ṣa), स(sa), च(ca), व(va),ब(ba). Special attention is to be paid on display of Hand movements for Swaras & memorization and saswara clear pronunciation of Swaras.

Complete memorization of the Shakha they are studying is mandatory for both the teacher and the student.

छात्रों की सुरक्षा एवं सच्चारित्र्य निर्माण/Safety and good character building of Students

छात्रों की सुरक्षा का संपूर्ण देखरेख पाठशाला अपने उत्तरदायित्व में करें, छात्रों की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिये, अपरिचित व्यक्तियों से छात्रों को मिलने न दें, अपरिचित व्यक्तियों के साथ छात्रों को न भेजें, छात्रों में देशभक्ति, देश के प्रति समर्पण एवं सच्चारित्र्य निर्माण पर विशेष ध्यान दें। कभी भी बाहर से अन्य अपरिचित द्वारा लाये गये वस्तु को खाने पीने न दें। संपूर्ण सात्विक एवं मसाले रहित भोजन पदार्थ ही छात्रों को दें। छात्रों की भाषा, बोलचाल, वस्त्र, कपडा, वार्तालाप उत्तम स्तर का होना चाहिये, कभी भी यह सभी भारतीय संस्कृति विरुद्ध न हो। संस्कृत संभाषण पर विशेष आग्रह रहे। पुलिस केस, मारपीट, लड़ाई-झगड़े, अन्य आपराधिक , अनैतिक एवं दुश्चारित्र्य प्रकरण में संदिग्ध- संलिप्त होने पर छात्रों एवं गुरु का अनुदान निरस्त होगा।

The Pathashala itself is responsible for the complete safety of the students. There should be no lapse in the safety of the students. Students should not be allowed to meet unknown persons. Students should not be sent with unknown persons. Special attention must be paid to developing patriotism and good character in the students. Students must never be allowed to eat or drink anything brought by others from outside. Provide only completely sattvik and spice-free food to the students. The students' language, clothes, speech, and conversation should be of a high standard and must never be against the Bhartiya sanskriti. Special emphasis must be laid on Indian Sanskrit conversation. This grant for the students and the Guru will be cancelled if they are suspected or involved in police cases, assault, fights, other criminal cases, or immoral cases.

(ई) वेद पाठशाला का अनुदान स्थगित करना/निरस्त करना/ Deferment/Cancellation of the Grants of Veda Pathashala-

35. वेद पाठशाला का निरीक्षण (उपस्थित होकर निरीक्षण/आनलाइन निरीक्षण) करने पर यदि वेद पाठशाला आवश्यक सुविधाओं के साथ सुचारु रूप से व्यवस्थित/संचालित नहीं पाई जाती है, अथवा अनुदान जिस उद्देश्य से दिया जाता है उसे अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग यदि किया जाता है, उपयोग में अनियमितता यदि पायी जाती है, भोजन आवास आदि में गुणवत्ता स्वच्छता नहीं है अथवा प्रतिष्ठान के दृष्टि में सस्वर वेद अध्यापन एवं अन्य विषय अध्यापन में शिथिलता पाई जाती है, वेद अध्यापक एवं छात्रों का वेद कण्ठस्थीकरण का अभाव है, अथवा निर्देश होने पर वेद के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों, वेद सम्मेलनों, रीफ्रेशर कोर्स, वेद अध्यापन गुणवत्ता विकास प्रशिक्षण में समय समय पर वेद या आधुनिक अध्यापक भाग नहीं लेते हैं अथवा अध्यापक-अनुपात में छात्र संख्या में नितान्त लगातार कमी दिखती है अथवा किसी भी विवाद या आपराधिक गतिविधि की स्थिति में वेद पाठशाला योजना के उद्देश्य सफल नहीं होने के कारण, तत्काल प्रभाव से वेद पाठशाला का अनुदान स्थगित करने का अथवा वेद पाठशाला का अनुदान निरस्त कर छात्रों के हित को ध्यान में रखकर इस वेद पाठशाला के छात्रों को अन्यत्र वेद पाठशाला अथवा इकाई में सस्वर वेद अध्यापन व्यवस्था कराने का अधिकार प्रतिष्ठान सचिव के पास रहेगा।

यदि आपकी वेद पाठशाला-प्रबन्धक संस्था/सोसाइटी/ट्रस्ट उक्त सभी शर्तों को स्वीकार कर लें तो निर्धारित आवेदन पत्र एवं प्रपत्रों के साथ निर्देशित दिनांक तक प्रतिष्ठान में स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत डिब्बे में डालें।

In the event of any lapses/shortcomings found during the inspection(in person or online inpection) of the Veda Pathashala with regard to its smooth running with all the necessary facilities, non-fulfillment of the purpose for which grants are provided and using it for some other purpose, irregularity in usage of grants, poor quality of accommodation and unhygienic food etc. and laxity in teaching of Saswar Veda and other modern subjects, laxity in Saswara Veda memorization both by the Veda Guru and his students, despite instruction from the Pratishthan, non-participation by modern subject teachers or Veda teachers in promotional activities pertaining to Vedas , Veda Conferences, Refresher Courses, Veda teaching quality development classes from time to time, steady decline in the student-teacher ratio or failure to achieve the objective of the **Veda Pathashala** scheme due to any dispute or criminal activity, the Secretary, MSRVVP reserves the right to the defer/stop the grants-in-aid of the Veda Pathashala with immediate effect and keeping the future of the students in view, the Secretary of the Pratishthan will have the right to shift the students of Veda Pathashala to any other Veda Pathashala/GSP Unit elsewhere for their continued study of Saswar Veda.

If all the above terms and conditions mentioned are acceptable to the managing Organization/Society/Trust of your Veda Pathashala, they may submit the requisite application form along with other details to the Pratishthan via speed post or hand delivery in the prescribed BOX within the prescribe date.